समष्टि स्टडी

minority rights group international

अल्पसंख्यक अधिकार और संघर्ष निवारण : भारतीय जम्मू और कश्मीर, पंजाब व नागालैंड में संघर्षों की केस स्टडी

माया चड्ढा

भारत नानाविध जातीय,धार्मिक, जातीय व भाषायी अल्पसंख्यकों की भूमि है जो विशिष्ट विश्वास पंथों, उप-संस्कृतियों और प्रांतो से जुड़ी है. इन विभिन्न समुदायों में कुछ इतने बड़े हैं कि वे क्षेत्रीय गृहप्रदेश बनाने की अभिलाषा रखते हैं और अन्य भारतीय राज्य का अंग रह कर ही संतुष्ट हैं इनका एकीकरण 1947 से भारतीय सरकारों की केंद्रीय चिंता का विषय रहा है. यह स्टडी भारत की अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियों और कार्यप्रणाली और तीन हिंसक जातीय संघर्षों की पड़ताल करती है : पंजाब प्रांत में स्वतंत्र राज्य के लिए सिख संघर्ष; कश्मीरी मुसलमानों की भारत से जम्मू-कश्मीर राज्य के अलगाव की माँग ; उत्तर-पूर्व में नागा स्वतंत्र राज्य का दावा. इन प्रातों में जहाँ गड़बड़ी के हालात हैं वहीं भारत के अन्य भाग शांतिपूर्ण एकीकृत रहे हैं या वहाँ हिंसक विप्लवी घटनाएँ नहीं हुई हैं. यह स्टडी तमिलनाडु राज्य में तमिलों के सफल जातीय समावेश के तुलनात्मक प्रतिनिधि केस के संदर्भ में पंजाब, भारतीय जम्मू कश्मीर और नागालैंड में असफलताओं को स्पष्ट करती है. यह सुझाती है कि एकीकरण के असफल होने के कारण हैं (1). अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नकराना (2) अल्पसंख्यकों द्वारा राजनीति में कम भाग लेना (3) केंद्रीय सरकार द्वारा दखलअंदाजी और राज्य द्वारा मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन.

अल्पसंख्यकों पर फोकस क्यों?

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थितियों व समस्याओं को समझना आवश्यक है. सबसे पहले प्रभावशाली संवैधानिक व वैधानिक गारंटियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर नज़र रखने और बचाने के लिए विविध प्रकार की संस्थाओं स्वतंत्र संगठनों और आयोगों की स्थापना के बावजूद भी भारत का प्रतिकूल और हाशिए पर पड़ा वर्ग सत्ता तक पहुँच व कानूनी सुधार के मार्ग में शक्तिशाली तत्वों के गठजोड़ के द्वारा खड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है. अल्पसंख्यकों को भेदभाव, हिंसा व अत्याचार का सामना करना पड़ता है. संवैधानिक व वैधानिक संरक्षणों धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समय समय पर होने वाले हत्याकांडों को रोक नहीं पाए हैं जैसा कि गुजरात में 2002 में हुआ, जब 2000 मुसलमानों की हत्या हुई या इंदिरा गांधी के हत्या के बाद हुए दंगों में केवल दिल्ली में ही 3000 सिखों की हत्या हुई. सरकार की प्रतिक्रिया

इस प्रकार के दंगों के प्रति निष्प्रभावी रही है. ना ही भेदभाव विरोधी कानून बिहार में जाति युद्धों को व भारत भर में दलितों के प्रति अत्याचारों को रोक पाए हैं. मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर-पूर्व के संरक्षित आदिवासी क्षेत्रों में बेरोज़गारी, भेदभाव और हिंसा फैली हुई है. आदिवासी इलाकों में जिसमें जंगल और समृद्ध खनिज के भंडार हैं ऐसे इलाके निर्मम व्यवसायिक हितों को आकर्षित करते हैं जो अपने स्रोतों के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को घूस देते हैं और संरक्षण के नियमों को भ्रष्ट करते हैं.

दूसरी बात, वर्तमान नियमों व अल्पसंख्यकों की हालात के यथार्थ के बीच चौड़ी खाई इस ओर ध्यान की माँग रखती है. संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में भारत मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा व राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों से संम्बद्ध अधिकारों की घोषणा से बंधा है इस स्टडी से संदर्भ में विशेष कर यूएनडीएम के अनुच्छेद 3 के अनुसार "अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध लोगों को राष्ट्रीय और जहाँ उचित हो प्रांतीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने का अधिकार है जिसका उस वर्ग जिससे वे जुड़े हों या प्रांत जहाँ वे रहते हों सम्बंध हो, जो राष्ट्रीय विधान के प्रतिकूल ना हो"

भारत ने सभी प्रकार के जातीय भेदभाव के विलोपन के अंतर्राष्ट्रीय नियम की अभिपुष्टि भी की है (हालाँकि वह यह नहीं मानता कि वर्ण इस नियम के अतंर्गत आता है), नागरिक व राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की अभिपुष्टि की है पर भारत ने इन सभी के प्रति घोषणा की है और उसने आईसीसीपीआर के एच्छिक प्रोटोकॉल और महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के नियम की अभिपुष्टि नहीं की है जो व्यक्तिगत शिकायत की व्यवस्था करती है.

यातना, न्यायेतर हत्याओं , गैर कानूनी कारावास व लक्षित हिंसा के खिलाफ संधियों के द्वारा भारत कानूनी रूप से बाध्य है. हालाँकि विद्रोहियों के खिलाफ भारत की गतिविधियाँ, साथ ही सशस्त्र बल स्पैशल पावर एक्ट 1958 जैसे कानून संधियो का उल्लंधन करते हैं.

तीसरी बात मानव अधिकारों के उल्लंघन, दबाव, अत्याचार और राजनैतिक अधिकारों को नकारने की परिणिति हिंसक प्रदर्शन में होती है जो इन तीन क्षेत्रों जिनका यहाँ अध्ययन किया गया है विद्रोही गतिविधियों में विकसित हो जाते हैं. यह कैसे होता है यह जानकारी हमें संघर्ष से बचने व उनका प्रबंध करने के बारे में हमें संकेत देगी.

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन केसों को क्यों चुना गया है और क्यों तमिलनाडु एक सफल लोकतांत्रिक एकीकरण का उदाहरण माना जाता है. ये तीनों जातीय संघर्ष के केस आजादी के लगभग 60 वर्षों में लगातार चलते रहे हैं. इस दौरान आर्थिक व शैक्षिक साथ ही साथ चुनावी अवसरों का प्रसार हुआ है. हम कैसे इन सघर्षों की निरंतरता को स्पष्ट कर सकते हैं जब लोकतांत्रिक विस्तार ने जातीय प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त स्थान दिया है. लगभग छह दशक संघर्षों के लिए कोई हल निकलाने के लिए भारतीय सरकारों के लिए पर्याप्त होना चाहिए था. व्यापक फलक पर पंजाब, कश्मीर व नागालैंड में हुई असफलताएँ उभरती हुए लोकतंत्रों के सामने प्रादेशिक का धार्मिक से, जातीय और भाषाई राष्ट्रवाद, परंपरा के साथ आधुनिकीकरण, और

लोकतंत्र के साथ सुरक्षा अनिवार्यताओं का मेलमिलाप करने में आने वाली कठिनाईयों के प्रति अंर्तदृष्टि देती है.

भारत सरकार ने संस्थागत और सुधारों की नीतियों को समस्यों के निदान के लिए विकास किया पर ये प्रतिस्पर्धा की राजनीनि के दबाव में व्यर्थ हो गईं. एक मोटा मोटा सार इससे यह निकाला जा सकता है कि लोकतंत्र जहाँ जातीय संघर्षों के लिए एक उपाय हो सकता है वहीं यह समस्याओं का स्रोत भी हो सकता है. इस विरोधाभास उत्तर यही हो सकता है कि लोकतंत्र की पैठ और गहरी की जाय. गहरी पैठ की प्रक्रिया तमिलनाडु में काफी हद तक सफल रही है. हालाँकि तमिलनाडु अच्छे प्रशासन का एक उदाहरण कतई नहीं है तथापि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर संघर्ष से बचाव का यह भारतीय संदर्भ में यह एक अच्छा केस है. यह केस स्टडी अतः अल्पसंख्यकों जिनमें सबसे कमजोर और सुविधाहीन हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नीतियों की सहभागी प्रक्रिया के आवश्यकता को प्रदर्शित करती है.

हालाँकि भौगोलिक स्वतंत्रता सत्ता के बँटवारे को उसी स्थिति में प्रोत्साहित कर सकती है जहाँ बड़े भूगोल पर कोई अल्पसंख्यक समूह आधारित हो पर किसी परिवर्तन की गारंटी नहीं हो सकती है. मानवीय व अल्पसंख्यकों के अधिकारों व सभी समुदायों जिसमें इसमें लघुतम व सबसे अलग थलग पड़े लोग हैं उनको प्रोत्साहन देना इसमें होना चाहिए. इसमें आर्थिक व राजनैतिक भागीदारी सत्ता व स्व-शासन तक पहुँच के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए. इन आधारभूत पहलुओं पर ध्यान न दिए जाने से संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है.

ऐतिहासिक संदर्भ में जातीय पहचानें

भारत ब्रितानी शासकों के आने से पूर्व विभिन्न बड़े और छोटे राजतंत्रों में बँटा हुआ था वे बहुजातीय तथा बहु धार्मिक थे पर उनमें एक या दो भाषीय समूहों का आधिपत्य उनके आकार और शाही संरक्षण के कारण बना हुआ था. उदाहरण के लिए वर्तमान पंजाब राज्य मूल सिख साम्राज्य का एक छोटा हिस्सा है जिसका शासन महाराजा रणजीत सिंह (1779-1839) ने किया था. सिख साम्राज्य को 1849 में ब्रिटिश शासकों ने विभाजित कर दिया और कश्मीर राज्य की स्थापना की. अतः कश्मीर एक नव निर्मित राज्य है हालाँकि उसकी विशिष्ट सांस्कतिक पहचान सदियों पुरानी है. इस राज्य की स्थापना के उपरांत सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचानें राष्ट्र राज्य की अभिलाषा में मिश्रित हो गई. यह राज्य विविध जातीय-भाषाई और धार्मिक समुदायों से बना था पर बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमानों के लिए बँटवारा और 1947 के युद्ध का मतलब पिछली दुखद घटना की पुनरावृत्ति था, विदेशी राज्यों के हित में बँटावरे और दमन. इसी तरह सिख राज्य तो हमेशा के लिए खत्म हो गया पर सिखों की ऐतिहासिक चेतना के भीतर सिख साम्राज्य के वैभव और मुस्लिम अत्याचार की स्मृतियों जीवन्त हैं.

जनगणना के प्रयोग और जातीय धार्मिक आधारों पर औपनवैशिक सेना में भर्ती की ब्रितानी नीतियों ने जातीय स्व-परिभाषा को स्वरूप दिया. कई समुदायों ने अपने जाति-वर्ण स्तर को जनगणना में ऊँचा उठा दिया. ब्रितानी शासकों ने भी अक्सर भारत के सामाजिक ढाँचे के प्रति अपनी ना समझी दिखाई जैसे उन्होंने कहा सिख "लड़ाकू जाति" है. ये मिथक जाति

किंवदंतियों का भाग बन गए और स्वतंत्र भारत के राजनैतिक जीवन में भी पहुँच. ब्रितानी औपनवेशिक शासन की तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी की गैर ब्राह्मणों के लिए कोटा की माँग के प्रति सहानुभूति थी. उसने ब्रितानी शासन के प्रति राष्ट्रवादी विरोध जिसका प्रतिनिधत्व धर्मनिरपेक्ष व बहुजातीय कांग्रेस आंदोलन कर रहा था उसे कमजोर करने के इरादे से जाति वर्ण के आधार पर आरक्षण और मुसलमानों व सिखों के लिए अलग से चुनावी पदों को स्थापित किया गया. हालाँकि जातीय, वर्ण और धार्मिक अस्मिताओं पर जोर दिए जाने से इन सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समुदायों में आपसी प्रतिस्पर्धा की नींव पड़ गई.

कांग्रेस आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं ने 1920 व 1930 में अपनी प्रांतीय संगठनों को जातीय-भाषाई आधार पर प्रस्तुत किया. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एक ही मंच पर कांग्रेस समर्थक मराठी भाषी शक्तियों को लाई पर अपनी जातीय पहचान को उसने सर्व भारत- पहचान के साथ नहीं जोड़ा. राष्ट्रीय युग ने जातीय समुदायों को केंद्रीय सरकार के विरूद्ध जन आंदोलन के महत्व को सिखाया जिसका प्रयोग उन्होंने अच्छे उद्देश्य से स्वतंत्रता के बाद समान स्तर और बर्ताव की माँग के लिए किया. तब तक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के अंतर ने राजनैतिक महत्व धारण कर लिया, सिख अपने लिए स्वतंत्र राज्य माँग करने लगे, कश्मीरी राष्ट्रवादी नव स्थापित भारत व पाकिस्तान से स्वतंत्रता की माँग करने लगे और नागाओं ने भारत संघ में शामिल होने से इनंकार कर दिया. कश्मीर, पंजाब व नागालैंड सीमावर्ती राज्य होने के कारण भारत की सुरक्षा व अंर्तराष्ट्रीय सीमाओं के लिए महत्वपूर्ण थे. 1947 के बाद की सीमाओं के आर पार जातीय फैलाव जिन पर पहले से पाकिस्तान, चीन व बांग्लादेश से विवाद था उसने एक और खतरनाक आयाम उसमें जोड़ा.

बहुसंख्यक/अल्पसंख्यक के सम्बंधों के कारक

अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा पर कोई आम सहमति नहीं है, युरोप में सुरक्षा और सहयोग के संगठन के राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के उच्चायुक्त मैक्स वान डर स्टोल के ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक क्या है यह बताने में असमर्थता व्यक्त की पर उनका कहना है कि अगर उनको वह दिखाई दे तो वे उसको पहचान सकते हैं 'फ्रांको कपरोती के अनुसार अल्पसंख्यक समूह किसी राज्य में बाकी जनसंख्या से कम, अप्रभावी स्थिति में होता है, जिसके सदस्य किसी राज्य के नागरिक होने के नाते, उनकी जातीय, धार्मिक व भाषाई विशिष्टताओं शेष जनसंख्या से भिन्न हों और वे अपनी संस्कृति, धर्म या भाषा को बचाए रखने के लिए अव्यक्त रूप से एकजुटता का भाव प्रकट करें",4

आज यह माना जाने लगा है कि जिनको नागरिकता से नकारा जाता है वे भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं. अल्पसंख्यक कौन है यह तय करने के लिए प्रमुख तत्व हैं (1), कि एक भाषाई, राष्ट्रीय/जातीय या धार्मिक समूह का अस्तित्व है (2) व्यक्तिपरक दृष्टि से लोग अपनो आप को किसी विशेष समूह का सदस्य समझते हैं - स्व परिभाषा का अधिकार महत्वपूर्ण है (3) ऐसे जो भी समूह हैं वे अल्पसंख्यक हालत में होते हैं और अपने मामलों को तय करने में शक्तिहीन होते हैं. इस का अभिप्राय किसी देश में अल्पसंख्यक होना है या इसका अभिप्राय यह भी हो सकता हैं किसी देश के हिस्से में अल्पसंख्यक होना जहाँ सत्ता की जिम्मेदारी वहाँ उन्हें सौंप दी गई हो.

प्रजातांत्रिक भारत समूहों के अधिकारों विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कैसे समझता है? कई मानवअधिकार मानदंडों से बाध्य एक धर्मनिरपेक्षक संघीय प्रजातंत्र के रूप में भारत अपने संविधान में और न्यायिक नीतियों के द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है.

यद्दपि राज्य का यह काम नहीं है कि वह यह तय करे कि कौन अल्पसंख्यक है भारत के संदर्भ में समूहों की सुरक्षा के लिए वैधानिक व नीतिगत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है अल्पसंख्यकों को राजकीय सुरक्षा पाने के लिए नामोद्दिष्ट किया जाना चाहिए. भारत में तीन तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है : धार्मिक, जाति-वर्ण आधारित व भाषाई.

1. धर्म पर आधारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार मुसलमान, सिख, इसाई और जोराष्ट्रियन नामोद्दिष्ट अल्पसंख्यक हैं. 5 सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को व्यक्तिगत कानून का अधिकार प्रदान किया गया है. इनमें मुस्लिम सिविल कोड सबसे विवादास्पद सिद्ध हुआ है.

2. जाति वर्ण पर आधारित: संविधान ने सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नामोद्दिष्ट किया है. संसद के विभिन्न अधिनियमों के द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों व वर्गों को इसमें जोड़ा गया. ये ऐतिहासिक रूप से परंपरागत जाति वर्ण श्रेणी के भेदभाव का लक्ष्य रहे हैं. भरात सरकार सकारात्मक कार्यक्रमों के द्वारा जो गलत हुआ है उसका विपरीत करने के लिए प्रयत्नरत है जो न केवल कानून में समान सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि विधानसभा व राष्ट्रीय संसद में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान उन कार्यक्रमों में हैं. संसद में 1973 में पारित एक अधिनयम के अनुसार महिलाओं,एसी एवम एसटी को सरकारी, सैक्षिक संस्थाओँ व निर्वाचित संस्थाओँ में "आरिक्षित " नौकरियों पाने का अधिकार प्राप्त है. कांग्रेस सरकार ने 22 दिसंबर 1992 को तिहत्तरवाँ संशोधन पारित किया जिसके अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला

और पंचायती पदों को लिए 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं वे एससी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किया गया. राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने 35 संस्थाओं को स्थापित किया जैसे अनुसूचित जातियों के लिए, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, अल्पसंख्यकों व भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की.3 भाषा पर आधारित : भाषाई अल्पसंख्यकों को दो तरह से भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए राजनैतिक स्थान दिया जाता है : संघीय स्वायत्ता के द्वारा तथा भाषाओँ की अनुसूची बनाकर व अल्पसंख्यक भाषाओं को सुरक्षा के लिए पहचान कर. भारतीय संघ प्रमुख भाषा समूहों को जो किसी विशेष प्रांतों में संख्या की दृष्टि बहुसंख्यक हैं उनको विशेष अधिकार दिए हैं. रज्या पुर्नगठन आयोग ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में यह माना कि प्रशासनिक सुविधा और दक्षता के लिए भाषाई समरूपता एक महत्वपूर्ण तत्व है. 8 संघ के अंतर्गत संख्या की दृष्टि से बड़े भाषाई अल्पसंख्यकों को जिनका विशेष इतिहास व क्षेत्रीय पहचान है उन्हें राज्य- प्रांत का अधिकार प्राप्त है,हालाँकि वही समुदाय अन्य रूप से जाति वर्ण और धर्म के आधार पर बँटा हो सकता है.

अतिव्यापी अल्पसंख्यक

सिख,कश्मीरी व नागा संरक्षित अल्पसंख्यकों की परिभाषा के लिए कैसे उपयुक्त हैं? ये तीनों कई

तरह अल्पसंख्यक हैं. मुस्लिम, सिख और ईसाई नागा नामोद्दिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और इसलिए उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्ता, अपने धार्मिक व सामाजिक मामलों पर नियंत्रण और अपनी भाषा व धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है. नागा सबसे पहले नागा के रूप में अल्पसंख्यक हैं पर वे विशेष श्रेणी के नामोद्देष्ट राज्य में मूल निवासी के रुप में भी अल्पसंख्यक हैं. भारतीय जम्मू कश्मीर भी नागालैंड की तरह एक विशेष श्रेणी का राज्य है, यह केंद्रीय सरकार से 90 प्रतिशत योजना बद्ध निवेश अनुदान के रूप में प्राप्त करता है और कोई भी केंद्रीय कर नहीं देता है. भारतीय जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है. मूल निवासी के रूप में और भारतीय संविधान की धारा 371 (अ)नागालैंड राज्य में नागा लोगों को भी भारक के भीतर विशेष दर्जा प्राप्त है. जहाँ कश्मीरी मुस्लिम, पंजाब में सिख और नागा तीनों में प्रांतों में प्रमुख समुदाय हैं तथापि अन्य विभिन्न अल्पसंख्यक भी हैं. भारतीय जम्मू कश्मीर में कुल जनसंख्या में 33 प्रतिशत हिन्दू , 3 प्रतिशत बौद्ध और 60 प्रतिशत कश्मीरी मुसलमान रहते हैं, हिन्दू जम्मू में रहते हैं, बौद्ध लद्दाख में और मुसलमान कश्मीर घाटी में रहते हैं इसके अन्य जातीय अल्पसंख्यक वहाँ रहते हैं जैसे शिया मुसलमान जिनका कश्मीर स्व-निर्णय पर भिन्न विचार है.

इसी तरह से पंजाब में जहाँ सिख बहुलता में हैं हिन्दू वहाँ प्रमुख अल्पसंख्यक हैं. एकल नागा अस्मिता बहुभाषी जनजातियों समूहों से विकसित हुई हैं. जैसा कि एमआरजी की रिपोर्ट लिंग,अल्पसंख्यक और मूल निवासी में नोट किया गया है कि "अल्पसंख्यकों को एक समूह या श्रेणी में समेटा नहीं जा सकता हैं" नागालैंड राज्य में 16 नामोद्दिष्ट जनजातियों से नागा पहचान का निर्माण किया गया है जो इस बात का संकेत हैं कि अल्पसंख्यक की पहचानें कितनी जटिल और अतिच्छादन हो सकती हैं. भारत 1955 में 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों का संघ बना. इस समय यह 28 राज्यों व नौ संघीय क्षेत्रों का संघ है और आगे हो सकता है और बनें.नए राज्य बड़े व राजनैंतिक रूप से शक्तिशाली जातीय समूहों की माँग की प्रतिक्रिया में बने हैं पर मानव व अल्पसंख्यक अधिकारों, अच्छे प्रशासन और उपयुक्त राजनैतिक व आर्थिक भागीदारी के पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण केवल आंतरिक सीमाओं के पुर्नरेखांकन ने नए संघर्षों में योग दान दिया है. पंजाब, जम्मू कश्मीर व नागालैंड का संघर्षपूर्ण इतिहास बहुजातीय भारत में एकता के भौगोलिक दृष्टिकोण की सीमाओं को रेखांकित करता है. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए गृह-प्रदेश संघीय ढाँचे के अंतर्गत बनाना भर ही पर्याप्त नहीं है उतना ही महत्वपूर्ण केंद्रीय व राज्य सरकारों की छेड़ छाड़ न करने और अच्छे प्रशासन की नीति है.

घरेलू दबाव

जब भारत का संविधान स्पष्ट रूप से शक्ति व सुरक्षा अल्पसंख्यकों को देता है तो भी तीन राज्यों में द्वन्द और संघर्ष नियंत्रण से बाहर कैसे हो जाते हैं? इसका आंशिक उत्तर भारत की सीमाओं में मिलता है जातीयता से सम्बद्ध राज्यों के उलझाव में(जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान), या समजातीय (बर्मा/मयनमार नागा),या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए संतुलन में. उत्तर का दूसरा भाग आंतरिक विकासों में पाया जाता है. विशेषकर हिंसक संघर्षों के दौरान नेताओं व दलों का चढ़ाव व

उतार (जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के क्रियान्वन में बाधक वर्ष थे) पंजाब में (1982-93), जम्मू कश्मीर में (1989 के बाद) और नागालैंड में (1960 के दशक में फिर 1980 के काल में). इन वर्षों में कांग्रेस पार्टी का राजनैतिक भाग्य निरंतर बिगड़ता रहा, चुनावी आकर्षण का अवसान होता गया, संगठन कमजोर होता गया और पार्टी हाई कमांड के हाथों में सत्ता का केंद्रीयकरण होता गया. कांग्रेस सर्वसम्मति की पार्टी नहीं रही और एक ऐसी मशीन बन गई जिसमें चापलूस और वफादार भर गए जिनकी धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या जन कल्याण में जरा भी प्रतिबद्धता नहीं थी. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मन माने तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को हटाया और बहुत कम लोकप्रिय सहयोग या आकर्षण वाले लोगों को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, निर्ममता के साथ बाँटो और राज करो की नीति काँग्रेस की प्रमुख स्थिति को बचाए रखने के लागू की.

मतदाताओँ के विस्तार और अब तक राजनीति के आखड़े में बहिष्कृत जनसंख्या के हिस्सों के आगमन के कारण यह निरंतर कठिन होता गया. कांग्रेस से दूर होने की परिपाटी को 1970 और 1980 के अंतिम भाग में गति मिली इस काल में कई शक्तिशाली प्रांतीय व जातीय राजनीतिक दल बने. इन दलों को हराने के लिए कांग्रेस ने खुलकर सांस्कृतिक व धार्मिक भावनाओं को उकसाया. यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, पर विशेष रूप से बहुधार्मिक भारतीय जम्मू कश्मीर व पंजाब में ये विनाश कारी साबित हुए जहाँ बहुसंख्यक जातीय समुदाय अल्पसंख्यक धर्म के साथ जड़ा हुआ है.11 भारतीय जातीय संघर्षों का खुलासा सत्ता के केंद्रीयकरण और अपने लोकतंत्र के ढांचे के भीतर संघर्ष को हल की क्षमता में कटाव के रूप में किया जा सकता है.

इसके विपरीत तमिलनाडु में जब 1970 के दशक में केंद्रीकरण को जोर चरम पर था उस काल में अलगाववादी तमिल आंदोलन ने संघ के भीतर लोकतांत्रिक एकता का रास्ता चुना. निम्न यह स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और नागालैंड में एकीकरण असफल रहा वहीं तमिल जातीय अलगावाद का सफलतापूर्वक भारत की मुख्यधारा में एकीकरण हो गया.

तमिलनाडु में एकीकरण क्यों सफल हुआ

जम्मू कश्मीर, पंजाब और नागालैंड की कुल जनसंख्या भारत की एक अरब से ज्यादा की जनसंख्या के 4 प्रतिशत से भी कम है. एकीकरण की उपरोक्त उल्लेखित नीतियाँ भारत के बड़े भाग में सफल रही हैं. तमिलनाडु यह रेखांकित करते है कि कैसे सावधानी पूर्वक जातीय स्वायत्ता का अवलोकन, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व,जातीय शक्ति के आवंटन और राजकीय लाभों की साझा पैठ के द्वारा छोटे अल्पसंख्यक समुदायों का समावेश अलगाव वादी आंदोलन को लोकतंत्र के लिए एक बल और राज्य का एक इच्छुक अंग में बदल सकता है.

तमिल की पृथक द्रविड़ राज्य की माँग स्वतंत्रता के पूर्व काल की है और उसके दो दशक बाद यह माँग चलती रही. एक तमिल या द्रविड़ पहचान की स्व -चेतना के विकास की जड़ें तमिल साहित्यिक आंदोलन व बाद में तत्कालीन मद्रास प्रेजिडेंसी में जस्टिस पार्टी की 1917 में स्थापना में पाई जाती हैं 12. जस्टिस पार्टी का मूल उद्देश्य ब्रितानी प्रशासन पर सार्वजनिक सेवा व शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए विशेष आरक्षण के लिए दबाव डालना था वह अलगावादी नहीं थी. बाद में पार्टी की उपशाखा द्रविड़ कषगम (डीके) की स्थापना एक विशेष

द्रविड़ नाडु (द्रविड़ देश) की माँग के लिए हुई. द्रविड़ अलगावादियों का तर्क था कि भारत के द्रविड़ दक्षिण में और उत्तर के आर्य/संस्कृत में बहुत कम समानता है और इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अस्मिता एक अलग राज्य के लिए न्यायिक आधार है 13. 1950 के दशक में भारत को तमिलनाडु में एक भीषण अलगाववादी आंदोलन का सामना करना पड़ा जिससे भारतीय संघ के टूटने का खतरा था14. हालाँकि द्रविड़ आंदोलन तब तक राजनैतिक व चुनावी आधार पर लोकप्रिय नहीं हुआ जब उसने अलगाव वाद को त्याग छोड़ कर तमिलों की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया. स्वतंत्रता के तुरंत भारत डीके का विभाजन हो गया. विभाजित समूह द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) हालाँकि उस समय अलगाव के लक्ष्य के पक्ष में था पर स्वतंत्र भारत की नई राजनैतिक प्रक्रिया जैसे चुनावों में भाग लेने का समर्थ था. चुनाव में भाग लेने के लिए यह जाति व आर्थिक असमानताओं, ब्राह्मणों का दबदबा और तमिल भाषा की प्रतिष्ठा के मुद्दों को उठाने लगा. लोकतांत्रिक राजनीति और चुनावों में भाग लेने के परिणामस्वरूप यह अलगाववाद से विमुख होकर अन्य मुद्दों को उछालने लगी.

जब तक इसने 1967 में राज्य की राजनीति को नियंत्रण में लिया तमिल राष्ट्रवाद लगातार भारतीय मुख्यधारा में एकीकृत होता चला गया. श्रीलंका में 1980 के दशक में तमिल-सिंहल गृह युद्ध छिड़ने के बाद भी तमिलनाडु की भारतीय संघ में प्रतिबद्धता अटूट बनी रही. ऐसा कैसे हुआ और किन नीतियों या विकास के कारण ऐसी स्थिति बनी?

सबसे पहले पृथक द्रविड़ राज्य की माँग को 1956 में भाषाई राज्य-प्रांत के अनुदान की नीति ने हानि पहुँचाई. इस नीति ने दक्षिणी अलगाव वादियों के संगठन को तोड़ा जिनकी द्रविड़ देशम की संकल्पना थी इस द्रविड़ देशम तेलगु,कन्नड़ और मलयालम भाषी क्षेत्र व लोग शामिल थे. भाषाई राज्यों के निर्माण, तमिल भाषियों के लिए मद्रास राज्य की स्थापना एक प्रमुख कारण था जिसके आधार पर डीएमके ने 1962 में औपचारिक रूप से अलगाववाद को त्याग दिया. फिर भी राजनैतिक स्व राज्य व सांस्कृतिक स्वायत्ता की माँग मजबूत बनी रही और जब 1960 के दशक में केंद्रीय सरकार ने हिन्दी को एक राष्ट्र भाषा के रूप में थोपने का प्रयास किया तो व्यापक दंगे और हिंसा हुई 15. भाषाई दंगों में करीब 60 नागरिक मारे गए. तमिलनाडु में जन प्रतिक्रिया उसी तरह की थी जैसा 30 साल बाद जम्मू कश्मीर में हुआ जब राज्यपाल जगमोहन के शासन का विरोध राज्य में सम्पूर्ण कानून व्यस्था के विघटन में परिणित हो गया और अंत में राज्य में विप्लव फैल गया.

भाषा विवाद तमिल को एक सरकारी भाषा का दर्जा देने व शिक्षा का माध्यम बनाने से सुलझा. वस्तुतः केंद्रीय सरकार ने इसी तरह की जातीय माँगों को त्रिभाषी समीकरण विकसित कर अन्य स्थानों उनका निपटारा किया. इसने अलगाववादियों को कमजोर किया और एकता समर्थक शक्तियों को द्रविड़ आंदोलन के भीतर बल दिया और आंदोलन के नेताओं को 1967 के चुनाव में भारी बहुमत से विजय मिली. अगर केंद्र सरकार अड़ी रहती तो भाषा का मुद्दा बिगड़ जाता, भारत में एक और अलगाववादी संघर्ष की संभावना बन सकती थी. लालबहादुर शास्त्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने समझौते का रास्ता चुना और तमिल

राजनीति में कांग्रेस की गौण भूमिका को स्वीकार किया.

तमिल नाडु में 1970 के दशक के दौरान दो दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई जिसमें डीएमके व एआईडीमके की प्रमुखता थी (डीएमके एक और गरीब समर्थक उप शाखा) हर एक के अपने स्थानीय साझा भागीदार व चुनावी आधार थे पर बुनियादी तौर पर एक ही विचारधारा का पालन वे कर रही थीं.16 बहु संख्यक तमिलों की जातीय भाषाई अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय जातीय दलों को अधिकारिकता मिलने से जातीय शांति की अनिवार्य शर्त पूरी हो गई. कांग्रेस दल ने तमिल राजनीति में दखल देने की कोशिश की पर द्रविड़ दलों ने उसे रोक दिया. तमिलनाडु केंद्र के साथ सत्ता के बँटवारे के द्वारा मूल्यवान छूटें और आर्थिक प्रोजैक्ट्स झटकने में कामयाब हो पाया है. स्थिर दो दलीय व्यस्था का 1967 के पूर्व के काल में संस्थाकरण ने तमिलनाडु ने जातीय शांति को सुनिश्चित कर दिया.

द्रविड़ दलों के वोट आधार निरंतर विस्तार और लचीलापन व उनके कैडर में स्वायत्ता का विस्तार इस विकास का एक महत्वपूर्ण फीचर था.17 जाति व वर्ग के अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ाने एक बड़ी संख्या में स्वयमसेवी संस्थाएँ- वर्ग संस्थाएँ, साहित्यिक समाजों, फिल्म फैन कल्बों, किसानों और कामगार संगठनों की स्थापना की गई. राज सभा में, सार्वजनिक सेवा की नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में महिलाओं व अल्पसंख्यकों के लिए पदों के आरक्षण के उपरांत चुनावों के दौरान बने राजनैतिक गठबंधन मजबूत हो गए.18 इन नीतियों ने दूसरी अनिवार्य शर्त को पूरा किया अर्थात अल्पसंख्यकों को सुरक्षा तथा उन्हें प्रतिनिधित्व देना. इन्होंने तमिलनाडु के भीतर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और वर्ण समुदायों के बीच झगड़े से भी बचाव किया. डीमके व एआईडीएमके ने जातीय समायोजन के लिए तंत्रों को स्थापित किया और छोटे अल्पसंख्यकों का राजनैतिक प्रक्रिया में समावेश किया. इसने तमिलनाडु में छोटे अल्पसंख्यकों के हिंसक जुटाव होने से पहले ही उसे रोक दिया; यह स्थिति तीन क्षेत्रों पंजाब, भारतीय जम्मू कश्मीर व नागलैंड में व्यापक रूप से अनुपस्थित है.

इसका मतलब यह नहीं है कि तमिलनाडु अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है. वनियारों और दलितों या दलितों और थेवरों के बीच में झगड़े हुए हैं.19 यह अजबीब बात है कि इनमें से कुछ घटनाएँ दलितों के सुधरती हालतों, उनका राजनैतिक शक्ति के रुप सघनता और "आरक्षण नीतियों के अंतर्गत लाभों तक उनकी राज्य द्वारा सुरक्षित पहुँच की प्रतिक्रिया के रूप में हुईं. हालाँकि आमतौर पर तमिलनाडु में सांप्रदायिक झगड़े कमही हुआ, 1980 के दशक में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अपमानित किए जाने के कारण कुछ दलितो (हिन्दू अछूत) धर्म परिवर्तन किया. सवर्ण हिन्दुओं ने इसके प्रति हिंसक प्रतिक्रिया मुसलमानों और इन नए धर्मान्वितरितों के विरूद्ध प्रकट की. हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 1990 के दशक में भी कुछ झगड़े हुए. 20 पर वे दुर्लभ थे. तमिलनाडु ने दलीय राजनीति की सामन्य प्रक्रियाओं में अल्पसंख्यकों को लाने के लिए अधिकतर राज्यों की तुलना में काफी काम किया.

सारांश में एक मजबूत स्वयंसेवी क्षेत्र लोचपूर्ण नेतृत्व के साथ आमतौर पर दखल ना देने वाली केंद्र सरकार और मोटे तौर पर सहभाजी राजकीय हितलाभ भारतीय लोकतंत्र में सफल तमिल एकीकरण के तत्व थे. भारतीय जम्मू कश्मीर

और नागालैंड से भिन्न केंद्र सरकार जो वायदा किया वही दिया : स्वायत्ता और सत्ता की सहभाजिता और आम सहभागिता पर आधारित कार्यालय, वितरित न्याय, अल्पसंख्यकों की रक्षा और आर्थिक कल्याण, जातीय शांति को पूरा करती दूसरी अनिवार्य शर्त. हालाँकि तमिल नाडु को अच्छी सरकार के कई पहलुओं में काफी काम करना है जैसे पारदर्शिता और राजनीति आचार , इसका गरीबी विरोधी कार्याक्रमों, शिक्षा और ग्रामीण उत्थान का स्पृहणीय रिकार्ड है. साथ ही, यह राजनैतिक संधि व्यवस्था प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और राज्य तक अल्पसंख्यकों को पहुँच प्रदान करती है.

केस 1 : भारतीय जम्मू और कश्मीर

भारतीय जम्मू और कश्मीर भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों के बीच 1947 से विवाद का केंद्र रहा है इस विवाद के दो आपस में जुड़े आयाम हैं, एक भारत पाकिस्तान के बीच प्रमुख प्रादेशिक क्क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों देश सारे भारतीय जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर पर दावा करते हैंम, और दूसरा मुख्यतः घाटी के मुसलमानों और भारत सरकार के बीच आत्म निर्णय के मुद्दे पर. कश्मीर का संघर्ष जातीय , प्रादेशिक और धार्मिक राष्ट्रवाद की टक्कर को भी प्रकाशित करता है. हर विचारधारा अलग अलग तरह से तीन क्षेत्रों जिनसे इस समय भारतीय जम्मू कश्मीर बना है, घाटी, जम्मू और लद्दाख में प्रकट होती है पिछले छह दशकों में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के विवाद के कारण तीन युद्ध हुए हैं और समय समय पर भारत पाकिस्तान के बीच भिड़न्त होती रहती है; आत्मनिर्णय का संघर्ष आरंभ में नेशनल कॉन्फरेंस(एनसी) के नेतृत्व में 1950 के दशक में चला, 1990 के दशक में अतिवादी इस्लामी तत्वों ने इस पर प्रभुत्व कर लिया.

हालाँकि सीमापार से से मदद और संघर्ष के बढ़ते इस्लामी चरित्र ने विप्लव को और बढ़ाया, पाकिस्तान ने इसकी रचना नहीं की. उसके लिए हमें केंद्रीकरण की नीतियों, स्वायत्ता के लिए दिए वचन का ह्रास और भारतीय जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय शासन को देखना चाहिए. कश्मीर के किसी भी हल के लिए न केवल प्रादेशिक दावों पर साथ ही जम्मू कश्मीर के विविध सुमदायों की अस्मिताओं की आपसी परिभाषाओं पर फैसला आवश्यक है. पहला सरकारों और अंर्तराष्तट्रीय संस्थाओँ का कार्यक्षेत्र है हालाँकि सामाजिक सुमदाय समझौतों के लिए भूमि तैयार के करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी बात समाजिक संस्थाओं का कार्यक्षेत्र है जो सामुदायिक सहअस्तित्व की भावना को बढ़ा सकते हैं और हिन्द- मुस्लिम-बौद्धों के नेटवर्क बना कर उनके सहयोग से हिंसा और उत्पीड़न के बीच शांति और सुरक्षा के द्वीप धीरे धीरे बना सकते हैं.

जम्मू कश्मीर में 1989 से विशेषकर कश्मीर की उत्तरी घाटी में उग्रवादी जमाव बना हुआ है और उसके ही समान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा सैनिक दमन भी होता रहा है. कश्मीरी विप्लव यह दर्शाता है कि जब राजनैतिक लामबंदी होती है तो राज्यों को खतरे का सामना करना पड़ता है पर राजनैतिक संस्थाएँ और सरकारी नीतियाँ उसके लिए जगह बनाने में असमर्थ होती हैं. लोकप्रिय लामबंदी बहुजातीय समाजों में हिंसक हो जाती है जैसे भारतीय जम्मू कश्मीर में जब अपना असंतोष प्रकट करने के लिए उनके पास सीमित माध्यम होते हैं और शिक्षा, आय और बेरोज़गारी ने उनकी अपेक्षाओँ और नाराज़गी और

बढ़ जाती है21 कश्मीर विवाद हल नहीं हो पाता है.

भारतीय जम्मू कश्मीर की दो तिहाही जनसंख्या मुस्लिम है, ब्रिटेन ने कश्मीर घाटी को हिन्दू डोगरा शासक गुलाब सिंह को 1846 में बेच दिया, हरिसिंह तो अक्तूबर 1947 में कश्मीर का शासन कर रहा था यह तय नहीं कर पाया कि भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में. उसके असमंजस ममें काबायली हमलावर और उनके पीछे पाकिस्तानी नियमित सेना राजधानी श्रीनगर को बढने लगे 22 महाराजा पहले ही शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रहे लोकप्रिय असंतोष के तहत बड़े दबाव में था. अपनी जान के डर से वह राजदानी से भाग गया और उसने भारत से मदद के लिए याचना की, जो उसे दी गई अगर वह भारत में शामिल हो जाए. यह अस्थायी था और लोकप्रियता के आधार पर इसको स्थायी बनाया जाना था. इस स्वीकृति का तरीका चाहे भारत के शासन के तहत चुनावों के द्वारा हो या जनमत संग्रह के द्वारा - यह अभी भी बहस का विषय बना हुआ है.23
जनवारी 1949 में राष्ट्रसंघ के निरीक्षण और निगरानी में युद्धविराम की घोषणा हुई. भारत और पाकिस्तान में राष्ट्रसंघ सैनिक ऑब्जरवर ग्रुप (यूनिमॉगिप)द्वारा गश्त की जा रही युद्धविराम रेखा अपनी जगह पर कायम है और यह नियंत्रण रेखा के रूप में जानी जाती है तथापि प्रायः सीमापार से गोलीबारी जारी रहती है.
दो लड़ाईयां 1949 से हुई हैं (1965 में और फिर 1971 बांग्लादेश को लेकर), साथ 1999 कागरिल झड़प, पर नियंत्रण रेखा बरकरार है. कश्मीर के सारे हिस्से व समुदायों की इच्छा आजादी की नहीं है, हालाँकि आमतौर पर लद्दाख और जम्मू के हिन्दू जो जम्मू में बहुसंख्यक हैं भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं; ज्यादातर घाटी के मुसलमान आजादी चाहते हैं.

विरोध से विप्लव

मोटे तौर पर कश्मीर झगड़े के लंबे इतिहास में कोई भी भी छह परिवर्तन बिन्दुओं को पहचान सकता है.24 (1) पहला चरण (1947-53) निर्णायक था इसमें परस्पर विरोधी परिणाम आए- बँटवारा और स्वायत्ता - इस पर तब से अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है.(2) दूसरा परिवर्तन बिन्दु 1956-7 में तब घटित हुआ जब दिल्ली सरकार की ओर से कश्मीर की संवैधानिक सभा ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया. (3) शेख अब्दुल्ला को 1975 में जेल से रिहा किया गया और उसने कश्मीर का मुद्दा ना उछाने का वायदा करते हुए नई दिल्ली से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. (4) जम्मूकश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेतृत्व में शुरू हुआ लोकप्रिय विद्रोह अगला महत्वपूर्ण बिन्दु बना. 1989 से लेकर 2002 तक तनाव बढ़ते रहे, 1999 में भारत-पाक के बीत कारगिल में सशस्त्र झड़प हुई, विवाद का जम्मू कश्मीर और भारत व पाकिस्तान में इस्लामीकरण हुआ, और जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को सीमापार से सहायात में बढ़ावा हुआ.25 (5) 2002 में कश्मीरियों द्वारा अपने संघर्ष की बागडोर स्वंय संभालने के आशाजनक संकेत दिखाई दिए, इसका उदाहरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से मिलता है जिनमें पहली गैर नैशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार श्रीनगर में सत्ता में आई.(6) संघर्ष के ताजा चरण में भारत व पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है, " आतंवकवादी" हमलों में कमी आई है और चुनावी प्रक्रिया की जम्मू कश्मीर में वापसी हुई है. यह स्टडी इन घटनाओं की केवल प्रमुख पहुलओँ पर चर्चा करेगी.

पहला चरण (1947-53)

राष्ट्रसंघ द्वारा थोपी गई युद्धविराम रेखा को जो अलग अलग नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सटी है स्वीकार करने के बाद भरात औपर पाकिस्तान कश्मीर के अपने हिस्सों पर पकड़ मजबूत करने लगे. ऐसा करने के लिए भरात ने अपने संविधान में धारा 370 को जोड़ा और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रवादी कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला के साथ 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे पर मुहर लगा दी. यह नीति कश्मीर के बारे में भारत के दृष्टिकोण पर सहमति तैयार करने की थी. पर समझौता हस्ताक्षर करते ही बिगड़ गया. शेख अब्दुल्ला को 1953 में कैद कर दिया गया. ऐसा क्यों हुआ?

इसका एक जवाब यह है :
'तब और अभी भारत सरकार मानती है 1947 में महाराजा और तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन द्वारा किए विलय के काग़ज़ात पर हस्ताक्षर अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य भारत का कानूनी अधिकार है. पाकिस्तान ने कबाइलियों को जो सहायता दी भारत उसे शत्रुतापूर्ण हरकत मानता है और पाकिस्तान की नियमित सेना की भागीदारी को वह भारतीय सीमा क्षेत्र में हमला मानता है. '26

राष्ट्रसंघ कमीशन की रिपोर्ट इस विचार से सहमत है. पर पाकिस्तान का दावा है कि विलय के काग़ज़ात पर हस्ताक्षर दबाव में किए गए, और विद्रोह देशी था और महाराजा का यह दायित्व है कि वह यथास्थिति को बरकरार रखे क्यों कि उसने पाकिस्तान के साथ यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. और चूँकि वह श्रीनगर छोड़ कर भाग गया था और वह कश्मीर के भाग्य को तय करने की स्थिति में नहीं था.

भारत ने संकेत दिया पाकिस्तान ने राष्ट्रसंघ के माँग के अनुसार जनमत संग्रह की तैयारी के लिए अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया; पाकिस्तान ने तर्क दिया वे तभी अपनी सेना को वापस बुलाएगा जब भारत अपनी सेना को वापस करेगा. ना ही भारत ने अंत में राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त डिक्सन आयोग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय जनमत संग्रह के प्रस्ताव का समर्थन किया. जनमत संग्रह जम्मू कश्मीर का धार्मिक आधार पर विखंडन करता है. 27 यह संभावना 1947 के सांप्रदायिक नरसंहार भारतीय नेताओं के लिए भयकारक थी. संयुक्त भारत-पाकिस्तान नियंत्रण के संदर्भ में 1990 के दशक के बाद कश्मीरी स्व-शासन पर फोकस है, एक ढीली सह-संघीय व्यवस्था और मुलायाम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ. 28
सवाल है 1952 में सत्ता की भागीदारी की व्यवस्थाएँ क्यों असफल हो गई और शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार क्यों किया गया, दो संभावित उत्तर हैं, शीत युद्ध के काल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़े सहयोग ने भारतीय शासक वर्ग को सावधान कर दिया और भारतीय जम्मू कश्मीर के मामले में उसकी राय कड़ी हो गई. दूसरा कारण, धारा 370 और दिल्ली समझौते के बाजवूद शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता की माँग को पुर्नजीवित किया, अंतः यह राय बनी कि उस पर कश्मीर के भारतीय संघ से मेल करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता. नेहरू ने कांग्रेस पार्टी में हठधर्मियों के दबाव में आकर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया. बाहरी घटनाओँ ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर संघर्ष के द्विपक्षीय हल की सारी संभावनाओं का अंत कर दिया.

स्वायत्ता: प्रदान करना और वापस लेना

भापत के भीतर जम्मू कश्मीर का कानूनी दर्जा धारा 370 पर आधारित है जो वचनबद्ध है

1. कश्मीर के लिए संघीय व्यवस्था के भीतर एक अनोखा स्थान और शक्तियों के सामने उसकी स्वायतत्ता.

2. पदाधिकारियों के लिए कुछ पदवियाँ, पुराने झंडे का प्रयोग, टैक्स और फैसले के अधिकार, भूमि खरीदने और भारत से घाटी में प्रवास पर रोक टोक

3. कि संघ के भीतर अन्य राज्यों से भिन्न, कश्मीर सरकार को तभी बर्खास्त किया सकता है जब इसकी अपनी राज्या सभा केंद्र सरकार द्वारा की गई बर्खास्तगी की अभिपुष्टि करे.

शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल कर भारत ने जातीय शांति के पहले तत्व का उल्लंघन किया: उसने भारतीय जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया पर किसी वास्तविक स्वायत्ता के वायदे को नष्ट कर दिया. 1950 के दशक की घटनाओँ ने एक प्रतिमान बनाया जो विद्रोह के आरंभ होने तक चलता रहा.

'अन्य' अल्पसंख्यकों के लिए तात्पर्य

भारतीय जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों, जम्मू के हिन्दुओं और लद्दाख के बौद्धों ने धारा 370 के प्रदान किए जाने पर विरोध प्रकट किया. हरएक ने विशेष दर्जे का अर्थ घाटी के मुसलमानों के जम्मू और लद्दाख पर वर्चस्व के लिए सरकारी मंजूरी रूप में लिया. शेख अब्दुल्ला की हरकतों ने इन मामलों में कोई मदद नहीं की उसने संविधान सभा के चुनावों में जम्मू की हिन्दू पार्टी को उम्मीदवार खड़ा करने से मना कर दिया. 29 परिषद ने बड़े पैमाने पर आंदोलन धारा 530 को उलटने के लिए आंरभ किया लद्दाख के बौद्धों ने इसका समर्थन किया. नेशनल कांग्रेस ने इसका जवाब बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी से किया. परिषद के आंदोलन की प्रतिक्रिया में जम्मू के मुसलमानों फिर से नेशनल कांग्रेस के साथ पूर्ण एकता प्रकट करने के लिए खड़े हो गए.

द्रविड़ दलों से भिन्न नेशनल कांग्रेस ने कश्मीर की जातीय अनेकता को फलक देने के लिए संस्थाओं का विकास करने में असफल रही. नई दिल्ली के एनसी के साथ और एनसी के भारतीय जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों के साथ सम्बंध. जिन दोनों सम्बंधों ने भारत के अल्पसंख्यकों के प्रति प्रतिबद्धता में परिवर्तन कर दिया. बाद के वर्षों में जमा होती शिकायतें 1989 में लोकप्रिय विद्रोह के रूप में परिणित हो गईं.

हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक विपक्ष को नकारना

विकास के अगले दो चरणों में , पहला 1956 में दूसरा 1975 में भारतीय जम्मू कश्मीर में स्वायत्ता के क्षरण का साक्षी है. 1957, 1962, 1967 और 1972 के चुनाव कपटपूर्ण थे.31 धारा 370 के होते हुए बी 1954 और 1970 के दशक मध्य तक भारत ने 20 संवैधानिक आदेश और 262 कानून आनुमोदित किए जो भारतीय जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं. 32 इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच दो युद्ध हुए जिनके कश्मीर विवाद के लिए और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए और उनका भारतीय जम्मू कश्मीर में स्वायत्ता की माँग के लिए बहुत बड़े निहितार्थ थे.

कई तरह से 1965 का युद्ध पाकिस्तान की 1947 की नीति का ही दुहराव था : सीमापार से घुसपैठ और उसके बाद नियमित पाकिस्तानी सेना का हमला अपने पक्ष में भारतीय जम्मू कश्मीर का दर्जा तय करने के लिए. पर

पाकिस्तान के लिए कोई लोकप्रिय समर्थन कश्मीर में नहीं था. दूसरी लड़ाई कश्मीर के बारे में नहीं खी फिर भी भारत ने अपनी विजय को भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा में बदलने के लिए प्रयोग किया. पाकिस्तान से खतरे का कम कर इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को 1975 में नजरबंदी से रिहा कर दिया और उसे मुख्यमंत्री इस शर्त पर बनाने को सहमत हो गई कि वह स्वतंत्रता के मामले को ना उठाए.

विप्लव की ओर

भारतीय जम्मू कश्मीर के आतंरिक मामलों में दखलअंदाजी और छलकपट में बहुत वृद्धि हुई जब जनता सरकार के अल्पकालिक शासन 1977-9 के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आए. शेख अब्दुल्ला की 1982 में मृत्यु हो गई और उसके बेटे ने पार्टी का नेतृत्व हाथ में लिया. उसके बाद जो हुआ निंदनीय था, और उन नीतियों के बिल्कुल विपरीत हुआ जिन्होंने तमिल अलगाववादियों को भारत से जुड़ने के लिए मना लिया.

इंदिरा गांधी ने खुलकर 1984 चुनावों के आंरभ में जम्मू में कांग्रेस समर्थक वोट एकत्र करने के लिए हिन्दू भावनाओं को अपील दी. नेशनल कांन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी मुसलमानों को एकत्र करने के लिए इसी तरह की चाल चली. 1984 में कांग्रेस ने नेशनल कांन्फ्रेंस के साथ साझा सरकार के साथ जुड़ कर सरकार तोड़ने की योजना बनाई और फारुक की जगह जी.एम.शाह को नियुक्त कर दिया. शाह सरकार केवल दो साल से भी कम समय तक चली और उसे मार्च 1986 में बर्खास्त कर दिया गया. इन वर्षों में केंन्द्र सरकार के हाथ में शक्तियाँ बड़ी तेजी से जमा होती गई और विपक्ष के प्रति असहिष्णुता बढ़ती गई 1987 के चुनावों के पूर्व कांग्रेस ने एनसी को चुनावी गठजोड़ बनाने पर बाध्य किया इसने एनसी के भारतीय जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र शक्ति के बचेखुचे दावे को नष्ट कर दिया. चुनाव तिकड़मी और कपटपूर्ण थे. नई दिल्ली की चालों ने भारतीय जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय गुस्से की लहर शुरू कर दी जिसे कुशासन, व्यापक भ्रष्टाचर और रोजगार के अभाव ने और तीव्र कर दिया. कपटपूर्ण चुनावों ने एक ऐसे कारक के रूप में काम किया जिसने भारतीय जम्मू कश्मीर को हिंसा के मार्ग को उन्मुख कर दिया.

1987 और 2002 के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल टूट गई.33 इसके बावजूद भारतीय जम्मू कश्मीर भारतीय निसंत्रण के विरूद्ध एक निष्कपट लोकप्रिय विद्रोह की साक्षी रहा.34 घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के बढ़ते समर्थन के कारण संघर्ष ने निरंतर एक सांप्रदायिक स्वर लिया, जो कि जमायते इस्लामी पार्टी का सैनिक अंग था और सरकार की नीतियों के कारण विशेष कर गवर्नर जगमोहन द्वारा लागू की नातियों के कारण उसका विश्वास उग्रवादियों का सामाना गोलियों और क्रफ्यू लगाने में था. पाकिस्तान के 1998 में आणविक परीक्षण और 199 में कारगिल लड़ाई ने भारतीय जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय विप्लव को भारत के लिए और खतरनाक कर दिया. 9/11 की घटनाओं और अमेरिका की अफगानिस्तान में लड़ाई नई अनिश्चताएँ ले आए.

विद्रोह के मूल नेताओं को अलग थलग करने के लिए और दिल्ली के खिलाफ संघर्ष पर अधिकार करने लिए अतिवादी जेहादी तत्वों के लिए मंच तैयार था. पर उनका एजेंडा अलग था. उनका

इरादा पाकिस्तान से जुड़ा एक इस्लामी कश्मीर था. जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, मौतें और गिरफ्तारी बढ़ी और लगभग 250,000 कश्मीरी हिन्दू दिल्ली में स्थापित किए गए विस्थापना शिवरों को पलायन कर गए.35 कहा जाता है कि गवर्नर जगमोहन ने घाटी के हिन्दुओं को छोड़ कर जाने के लिए प्रोत्साहित किया इस आरोप का उसने जोर देकर खंडन किया तथापि स्थिति जन्य तथ्य कुछ और ही संकेत देते हैं.36 हुर्रियत (एक पाकिस्तान समर्थक और आजादी समर्थक समूहों का गठजोड़) के अनुसार इन वर्षों में 80,000 मौतें हुईं और 1998 और 2002 के बीच 10,000 और हुए. 37 इनमें नागरिक मौतें सुरक्षा कर्मियों की तुलना में आमतौर पर तीन गुना हैं.

वर्षों से चलते विद्रोह ने भारतीय जम्मू कश्मीर को एक किलाबंद राज्य बना दिया है जहाँ मानवअधिकारों का हनन व्याप्त है. विद्रोह भी घरेलू निष्कपट विद्रोह बाहरी से नियंत्रित जेहादी हिंसा में परिवर्तित हो गया . पर 2002 के चुनावों के बाद और भारत -पाकिस्तान के बीच फिर से उसके अगले वर्ष गंभीर वार्ता आरंभ होने से शांति के लिए एक नई खोज आंरभ हुई है. यदि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी व कांग्रेस की साझा सरकार भारतीय जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार को मना कर बंदियों को रिहा करवा कर न्याय दिला सके, कानून और व्यवस्था को फिर से स्थापित कर सके जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिला कर भारतीय जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवन दे सके तो वह सरकार में जनता का विश्वास फिर से जीत सकती है. जाहिर है कश्मीर में जातीय व्यवस्था के सिद्धान्त पनप नहीं पाए इन सिद्धान्त से तमिलनाडु अलगाववाद से विमुख हुआ, उसके स्थान पर कश्मीर हिंसा की ओर मुड़ गया.

भारत, पाकिस्तान और कश्मीर में वार्ता

कई प्रेक्षकों का कहना है कि जेकेएलएफ के नेतृत्व में चला लोकप्रिय विद्रोह 1992 तक लगभग खत्म हो गया और इगले चरण में हिजबुल मुजाहिदीन का इस पर दबदबा हो गया जिसके विचार अतिवादी थे, हालाँकि उनकी जड़ें भी घाटी में ही थीं. 1993 से लेकर 2003 तक बलवे का नेतृत्व अफगानों ने किया और फिर लश्कर ए तोयबा के तत्वों ने किया जो सीमापार पाकिस्तान में स्थित इस्मामी कट्टरपंथियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. इस चरण में हिन्दू और सिख अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े. भारतीय जम्मू कश्मीर में 1989 और 2005 के बीच 571 राजनैतिक कार्यकर्ता मारे गए जिसका चुनाव कराने के कई प्रयासों पर नकारात्मक असर हुआ.38 हुर्रियत के नेताओं का आंकलन है इस समय उग्रवादियों की संख्या करीब 2000 से लेकर 2500 है इसमें 1500 सीमापार से आए लश्कर के तत्व हैं. इन आंकड़ों की भारत के रिसर्च एंड एनालिसेस विंग के उप प्रमुख ने पुष्टि की है.39 वर्तमान और पूर् हुर्रियत नेताओं (शब्बीर शाह, अबुदल गनी बट) या उनके निकट के (पीपुल्स लीग के नइम खॉन और एक अनुभवी स्वतंत्रता समर्थक उग्रवादी, आज़मी इन्कलाबी) ने लेखक के साथ बातचीत में कहा है कि : (1) भारत- पाकिस्तान में सम्बंधों में सुधार ने एक नया अवसर प्रदान किया है; (2) कश्मीर में लोग हिंसा से थक चुके हैं; समझौते के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीधे हुर्रियत से राजनैतिक प्रबंधों के बारे में बात करनी चाहिए और पाकिस्तान कश्मीर (पीके) को भी बातचीत में किसी बिन्दु पर शामिल

होना होगाच(4) बिना पाकिस्तानी कश्मीर की भागीदारी के कोई शांति नहीं होगी, पहली बात क्योंकि कई घाटी के कशमीरी सीमापार पड़े हुए हैं और दूसरी बात कि पाकिस्तान की भागीदारी के बिना शांति नहीं मिल पाएगी. तथापि यह स्पष्ट थाता कि वे सीमापापर के जिहादी उग्रवादियों से या घाटी में आराम से बैठने वालों से अपने आप को अलग समझते थे. उनकी राय में मानवअधिकारों का हनन और सर्वव्यापक सुरक्षाबलों की उपस्थिति, व्यापक भ्रष्टाचार झगड़े को बढ़ा रहे थे. 40
हालांकि हिंसा का अंत नहीं हुआ है भारत और पाकिस्तान ने वार्ताएँ की हैं और सहमति के बिन्दुओँ को पहचाना गया है. दोनों देशों के नेताओं में सहमति हुई है कि कश्मीरियों को समझौते में भाग लेना चाहिए और भारत पाकिस्तान के संप्रभुत्व सीमाओँ के भीतर स्वशासन चलाने के तरीकों को खोजना चाहिए और व्यापार व यात्राओं को प्रोत्साहित सीमाओं को बेकार कर देना चाहिए. भरात ने अंतश्रेत्रीय वार्ताओँ भी आयोजित की हैं, और सिवविल सोसायटी के समूहों को ट्रैक II की चचर्चा करने किए प्रोत्साहित किया है और यह जिद छोड़ दी है कि पाकिस्तान वार्ता से पहले सीमापार से चल रहे आतंकवाद को नियंत्रित करे. पाकिस्तान ने जनमत संग्रह करवाने की जिद छोड़ दी है और सीमापार से चल रहे आतंकवाद को रोकने की कोशिश की है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि उसने कश्मीर की आजादी का विचार त्याग दिया है. तथापि कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में कोई आम सहमति नहीं है कि कैसे पूर्व कश्मीर के इस बँटे हुए टुकड़ों को जोड़ा जाए कैसे अल्पसंख्यकों तक सत्ता पहुँचाई जाए या इन प्रबंधों लिए कैसे लोकप्रिय आम सहमति प्राप्त की जाए. किसी भी कामचलाऊ समीकरण के लिए अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच,भारत और भारतीय जम्मू कश्मीर के बीच, भारतीय जम्मू कश्मीर और पाकिसतान कश्मीर के बीच गिलगित और स्क्रदू को मिलाकर , और घाटी और लद्दाख और जम्मू के बीच समझौता होना आवश्यक होगा. इन क्षेत्रीय वार्ताएँ के दौरान जनता के कष्टों को दूर करने, सीमापार आवागमन और संपर्क करने की आजादी, लगों के सम्मान, सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा के आवश्यक मुद्दे हैं.41 इन देखरेख के कदमों को अंतिम समझौते की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है.

केस 2: पंजाब

यदि हम सतही तो पर ही जम्मू कश्मीर में हिंसा के जिम्मेदार कारकों को देखे तो पंजाब में जातीय झगड़े कभी होने ही नहीं चाहिए थे. भारत -पाकिस्तान सीमाद्वारा विभाजित पूर्व और पश्चिमी पंजाब के बीच कोई भूमि के दावे के सम्बंध नही हैं. पंजाब भारी हिंसा के दौरा से गुजार जिसके कारण हजारों लोगों की मौत और हत्याएँ हुईं, लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगी और कड़े कानू लागू हुए, यह सिद्ध करता है कि जातीय झगड़े पूर्णतया आंतरिक कारणों से और बहुसंख्यक /अल्पसंख्यक सम्बंधो के कुप्रबंध के कारण हो सकते हैं. पंजाब बचाव की नीतियों के महत्व को सदृढ़ करता है, भारतीय जम्मू कश्मीर के केस को रेखांकित करता है, और अल्पसंख्यक जनसंख्या की कीमत पर शांति प्राप्त करने विरूद्ध चेतावनी देता है. पंजाब में शांति स्थापना बलपूर्वक हुई थी वहाँ अलगाववादी विद्रोह को 1987 और 1992 के बीच क्रूरता से मिटा दिया गया.

पंजाब के राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्टभूमि

कश्मीर और नागालैंड से भिन्न पंजाब को भारत में कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं हैं पर पंजाबी सिखों की अलग राज्य की माँग (सिखस्तान, बाद में यह खालिस्तान कहा गया) भारत की आजादी से पहले से भी पुरानी है. 1849 से पहले रिखों ने अपना एक राज्य स्थापित किया जिसे ब्रिटिश ने तोड़ दिया. सिखों के प्रमुख धार्मिक और राजनैतिक संगठन शिरोमणी अकाली दल(एसएडी) की स्थापना 1920 में हुई. उसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन पर 1940 के परवर्ती काल में एक अलग सिख राज्य को मुहैया करने के लिए दबाव डाला पर ना ब्रिटिश ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन वक्तव्यों को गंभीरता से लिया. 1947 में विभाजन के बाद लाखों हिन्दू और तकरीबन सारे सिख नए पाकिस्तान से भारत पलायन कर गए. 42 बँटवारे के बाद सिखों और हिन्दुओं के बीच निकट का सौहार्द था. तथापि सिख अभीप्सा पुनः प्रकट हुई जब 1950 के दशक के मध्य राज्य पुर्नगठन आयोग(एसआरसी) भारत के संघीयकरण पर अपनी विचार विमर्श करने लगा. एसआरसी ने भारती में भाषाई राज्यों की रचना की पर पंजाबी राज्य की रचना उसने नहीं की. एसआरसी ने सिखस्तान का विचार खारिज़ कर दिया (क्योंकि वह धर्म के मापदंड पर आधारित था ना कि भाषा के) और इसके स्थान पर उसने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों को मिलाकर एक बृहत्तरपंजाब की रचना की जिसमें सिख अल्पसंख्यक होगें.43 सिख और हिन्दू जातीय नेताओं की अपने समुदायों के हित में अविश्वास के बीच बोने की कोशिश के बावजूद भी सूबे (पंजाबी भाषी राज्य) के लिए सिख आंदोलन मौटे तौर पर राजनैतिक स्तर पर चला.44 यह भी विचारणीय है कि 1950 के दशक में किए गए जनगणना संग्रह में सिखों के समान पंजाबी बोलने वाले हिन्दुओं ने व्यापक रूप से हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताया. हिन्दू राष्ट्रवादी संस्थाओं के प्रोत्साहन में हिन्दू समुदाय ने अलग सूबे के जातीय भाषाई आधारों की जड़ें काट कर सिखों की हाशिए पर डालने का प्रयास किया.45 इन घटनाओं में धार्मिक अस्मिताओं ने मुख्य भूमिका निभाई पर इस समय उन्होंने कोई अंर्तजातीय हिंसा पैदा नहीं की. इन आरंभिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंततः सिखों के लिए एक पंजाबी सूबा 1966 में बना.46 हालाँकि एसएडी की सरकार बनाने की अभिलाषा पूरी ना हो सकी, नई दिल्ली और इंदिरा गांधी ने सूबा तो दे दिया पर एसएडी को चुनावी प्रमुखता नहीं लेने दी, जो द्रविड़ दलों की बराबरी करना चाहती थी.47

इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने एसएडी की कृषि विस्तार सेवाओं और अनाज की खरीद की कीमतों के लिए बढती माँगों को देखते हुए लचीला रूख अपना लिया. इसके बदले में सिखों ने गांधी और उसकी राजनैतिक विरोधियों को कैद करने की नीतियों का विरोध किया. गांधी पंजाब और अगले चुनाव 1977 में हार गई. सिखों द्वारा प्रस्तुत आनंदपुर प्रस्ताव की नामंजूरी ने भरातीय शासन के खिलाफ सिखों के लोकप्रिय आंदोलन के लिए आधारशिला रख दी इस प्रस्ताव में वृहदत्तर स्वायत्ता और हिन्दु बहुल राज्यों के समान बराबरी के अधिकारों की माँग की गई थी.

कांग्रेस-एसएडी और हस्तक्षेप

एसएडी ने 1967 में जनसंघ के साथ मिलकर साझा राज्य सरकार बनाई थी पर कांग्रेस और उसके साथियों ने पंजाब में दलबदल की

योजना क्रियान्वित की और नौ महीने के भीतर इस सरकार को गिरा दिया; अगली सरकार 1972 में गिर गई.48 कांग्रेस की राज्य की राजनीति में प्रभावशाली उपस्थिति बनी रही और लोकप्रिय वोट का बड़ा हिस्सा भी उसे मुख्यतः हिन्दुओं, धर्मनिरपेक्षक सिखों और अनुसूचित जातियों व पंजाब में अन्य पिछड़े वर्गों से मिला.49 कांग्रेस ने नीची जातियों और गरीब सिखों का समर्थन लेकर हिन्दू-सिख विभेद को पसारा. इसने पंजाब की राजनीती में ध्रुवीकरण को रोका.50

हालाँकि अन्य विकास 1970 के दशक में सिख राजनीति को रूपांतरित करने के लिए एकत्र हुए. एसएडी के नेतृत्व ने बहुमत जीतने में असफल होने या सरकार ना बना पाने पर सिख जातीय राष्ट्रवाद को अपील देना शुरू कर दिया. एसएडी को विचारधारा के आधार पर पलटा देने के लिए कांग्रेस ने भी सांप्रदायिक वफादारियों के साथ चालबाजी की. इसने पंजाब में हिंसा का मंच तैयार कर दिया. हरित क्रांति के 1960 के दशक में आने से आर्थिक रूपांतर पहले ही जाट जाति के सिखों में उग्र दावे का आधार बना चुका है इस सिखों का एसएडी और पंजाब की आर्थिक राजनीति में प्रभुत्व था.51 तथापि क़षि के आधुनिकीकरण से प्रयाप्त नौकरियाँ नहीं बनी, वास्तव में मशीनीकरण के कारण कईयों को रोजगार की खोज में महानगरों की ओर जाना पड़ा. शिक्षित बेरोजगारों में कुंठापहले ही सांप्रदायिक और क्रांतिकारिता तैयार स्रोत थी.52

नई दिल्ली में सरकार और अकाली दल में झगड़ा तब शुरू हुआ जब अकाली दल से 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी संघीय राज्यों के लिए व्यापक स्वायत्ता की माँग की गई पर विशेष माँग यह थी कि एक 'सिख स्वायत्ता प्रांत' बने जिसका अपना संविधान हो. एसएडी ने केंद्र सरकार द्वारा 1970 में दिए वायदे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश चंढीगढ़ को पंजाब के हवाले किए जाने की माँग की. और राजस्थान ,हरियाणा और पंजाब के बीच नदियों के पानी के अनुकूल आवंटन की माँग की. प्रस्ताव में संविधान में सिख धर्म के स्पष्ट स्थान को रेखांकित किए जाने और सारे गुरूद्वारों का प्रबंध एसएडी के आधीन किए जाने की माँग की. अंतिम माँग महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह सिख गुरूद्वारों को नैतिक और राजनैतिक अधिकार करता है और सिख गुरूद्वारों द्वारा बड़ी मात्रा में एकत्र किया धन और संपत्ति तक उसकी पहुँच इसके द्वारा बनती है. ये माँगें जाट सिख किसान जमींदारों के एजेंडा को व्यक्त करती हैं साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज करती हैं अनुसूचित जाति के मज़ाबीस (24 प्रतिशत), रामगीरा, लोहार,राय, चीमा और लबाना सिख. ये अल्पसंख्यक 'अकाली पूँजीवादी किसानों के प्रतिकूल हैं और उनका राजनीतिक विरोध करते हैं...[वे] कांग्रेस(आई) को वोट देते हैं या साम्यवादी दलों को'53 आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में लिंग के मद्दे जैसे महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थय, समान अवसर, घरेलू हिंसा और सम्मान के लिए की जाती हत्याओं के मुद्दे नहीं उभरे, ना ही प्रस्ताव के मसौदे को बनाते समय कोई महिला प्रतिनिधि उपस्थिति थीं. कांग्रेस ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को भारत में अपने राजनीतिक दबदबे के लिए एक चुनौती रूप में देखा.

बल प्रयोग और बढ़ता विद्रोह

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के संकरे आधार से समस्याएँ उत्पन्न होनी ही थी. एसएडी प्रबल हुआ और उसके प्रभाव को रोकने के लिए

कांग्रेस (आई) ने अल्पसंख्यक वोट के लिए अनुनय किया और एसएडी के घटकों में लड़ाई करवाई. इस नीति के हिस्से के रूप में कांग्रेस के नेताओं ने एक उग्र सिख धर्मवक्ता संत जनरैल सिंह भिंडरावाले को प्रोत्साहित किया पर योजना बिगड़ गई. भिंडरावाले ने 1978 में सिखों के एक संप्रदाय निरंकारियों के साथ हुई हिंसक झड़प में भाग लिया. तीन साल के अंदर भिंडरावाले पंजाब में सबसे लोकप्रिय सिख नेता में एक बन गया था.54 उसने बढ़ती हुई शिक्षित सिख युवाओं के बीच एक व्यापक जन आधार बना लिया इसके विपरीत अकालीदल ने मध्य वर्ग और शहरों में रहने वालों और इनके अलावा समृद्ध किसानों की ओर रूख कर लिया. पंजाब की राजनीति में चालबाजी से कांग्रेस को अल्पकालिक लाभ हुआ पर भिंडरावाले ने ने तुरंत राज्य को उत्पात में डूबो दिया.55 भारतीय सेना ने जून 1984 में भिंडरावाले से लड़ाई में सिखों के पवित्र तीर्थस्थल पर हमला किया दोनों ओर से चली गोलियों में 1200 के करीब तीर्थयात्री मारे गए. भिंडरावाला भी मारा गया पर सिखों के पवित्र तीर्थस्थल को अपवित्र के जाने से इंदिरा गांधी की बदले में हत्या हुई और सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी जिसमें 3000 जानें गईं जिनमें ज्यादातर दिल्ली में रहने वाले निर्दोफ सिख थे. हिंसा में भाग लेने वालों को अभी तक उनके अपराध की सजा दी जानी बाकी है.

नवर्विचित प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में संत लोंगोवाल के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक माँगों पर एक समझौता किया ये माँगे इससे पहले तक इन पर मध्यस्थता नहीं हो पाई थी.

तथापि आतंकवादियों ने लोंगोवाल की हत्या कर दी और पंजाब हमें हिंसा लौट आई. स्थिति कैसे सामान्य हुई और उग्रवाद का अंत हुआ?

बल प्रयोग द्वारा शांति लाना और पंजाब में लोकतांत्रिक राजनीति की वापसी

स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और स्वायत्ता से वंचन ने सकंट को बढ़ा दिया बल प्रयोग ने उसे और बिगाड़ दिया. एक बहु धार्मिक प्रांत में जहाँ जनसंख्या में हिन्दू 40 प्रतिशत और सिख 60 प्रतिशत हों राजनैतिक चालबाजी विनाशकारी सिद्ध हुई. सीधा शासन (राष्ट्रपति शासन) और एसएडी की सरकार की बर्खास्तगी एक गंभीर गलती थी क्योंकि इसने स्वायत्ता के दिखावे की बात भी खो दी. इसने बलप्रयोग और दमन का एक ऐसा चक्र चालू किया जिसमें नागरिक जान माल को भारी क्षति पहुँची. पंजाब में लोकतंत्र की वापसी दो पूरक तरीकों से हुई :क्रूर दमन और प्रतियोगी चुनावी प्रक्रिया की बहाल के द्वारा.

सरकार ने 1992 में पंजाब में स्थानीय प्राधिकरण को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया. राज्य में चुनाव हुए (20 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया) और कांग्रेस की जीत हुई क्योंकि एसएडी ने चुनावों का बहिष्कार किया और लोगों ने वोट देने से इंन्कार कर दिया. पर रारज्य में चुनावी प्रक्रिया की वापसी ने केंद्र सरकार को उसे एक बफर के रूप में प्रयोग करने का अवसर दिया और आतंकवाद को मिटाने के लिए प्रयोग करने का अवसर दिया. नई पंजाब सरकार ने सिरउड़ा देने वाली नीति की वकालत करने पुलिस अधीक्षक के.पी.एस गिल को खुली छूट दे दी. वह आतंकवादियों में घुसपैठ करने और करीब 4000 आतंकवादियों को पकड़ने और मारने में सफल रहा.56

राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग ने हाल की खोजबीन के द्वारा यह उदघाटन किया कि इन वर्षों में 2,097 लोग गायब हो गए या न्यायेतर हत्याओं में मरे और 1238 शव जिनकी शिनाख्त नहीं हुई उनका पंजाब के अमृतसर जिले में दो स्थानों पर दाह संस्कार दिया गया. 57 'भारतीय सुरक्षा बलों ने आंतकवाद विरोधी अभियानों के संदर्भ में गैरकानूनी रूप से 1984 और 1995 के बीच अनुमानित 25,000 सिखों को बंदी बनाया,यंत्रणा दी, न्यायेतर हत्या की और " गायब" किया'.58 ' यूँ तो सभी पंजाबी सिख गायब हो सकते थे व उनकी न्यायेतर हत्या हो सकती थी पर विशेषकर अमृधारियों या दीक्षा प्राप्त सिखों को, उनको जो राजनीतिक रूप से अकाली दल पार्टियों के साथ सक्रीय थे, और संदिग्ध आतंकवादियों के परिवारों और मित्रों को पुलिस ने लक्ष्य बनाया हुआ था'59

पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बचे हुए असंतुष्ट घटकों राजनीतिक प्रक्रिया में जुड़ने के लिए भारी मात्रा में सहायता का प्रस्ताव दिया. सितंबर 1992 के पालिका चुनावों और जनवरी 1993 के ग्राम पंचायत चुनावों (ग्राम-स्तर) में मुख्यतः हिंसा और उग्रवाद के बढ़ते अपराधीकरण के विरूद्ध लोकप्रिय थकान और उग्रवाद के सफाये के कारण 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ. गठबंधन के बागीदारों को बोझ से मुक्त एसएडी सत्ता में वापस आई, पर लोकतंत्र की वापसी भारी मानवीय कष्ट की कीमत पर हुई.

उग्रवाद और हिंसा का प्ररिप्रेक्ष्य

सिख उग्रवाद के का अंत कैसे हुआ इस पर कई मत हैं. इस बात पर मतभेद हैं कि उग्रवाद पहली बात तो क्यों शुरू हुआ ही. ज्यादातर परिवेक्षक इस बात पर सहमत हैं कि स्वायत्ता और अधिकारों के प्रावधान का सूक्ष्म अवलोकन, अर्थपूर्ण भागीदारी, अंर्त-जातीय शांति और न्याय सबसे अधिकार प्रभावशाली नीतियाँ हैं. अगर कांग्रेस पार्टी निम्न जाति और सिखों के गरीब तबके से समर्थन प्राप्त करती रहती और सांप्रदायिक अपील न करती तो आतंकवादियों को समाज को अपने आंदोलन पीछे एकजुट करने में काफी कठिनाई आती. कांग्रेस के तथाकथित धर्मनिरपेक्षक नेताओं द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं को अपील करने से पंजाब में अंर्तजातीय सहयोग का एक मात्र पूरक नष्ट हो गया जब एक बार प्रांत में धार्मिक आधार पर ध्रवीकरण हो गया तो स्वंयसेवी संस्थाओं और स्थानीय नेताओं को जो परिस्थिति का फायदा हो सकता था वह उन्होंने हिंसा के विरूद्ध वकालत में खो दिया.

जिस तरह से उग्रवाद का अंत हुआ वह मूल्यवान अंर्तदृष्टि देता है. आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रयुक्त निर्मम युक्तियों से कई असैनिक की मृत्यु न होती अगर उग्रवादी समाज का हिस्सा ना बन गए होते उन्हें मदद न मिलती राजनैतिक दल जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं उन्हें उकसाते नहीं. बारतीय जम्मू कश्मीर की भांति विद्रोह और विद्रोह विरोधी गतिविधियाँ कईयों के लिए पैसे कमाने का धंधा बन गए. आम शिकायतों की जो सच्ची अभिव्यक्ति थी उसके भाड़े के सैनिकों और अपराधी करण में बदलने से निर्दोष आम लोगों को बहुत हानि हुई. उन्होने इसकी कीमत रक्त और आँसुओं, विस्थापन और घटती आय से दिया. उच्चस्तीय राजनैतिक समझौते ने पंजाब में चुनावी प्रक्रिया को फिर से स्थापित किया, पर पंजाब के जातीय समुदायों के बीच शांति की पुर्न स्थापना के लिए दो चीजें को तुरंत होना आवश्यकता है : अंर्त-समुदाय सहयोग का पुर्ननिर्माण और भारत

की न्याय व्यवस्था में अटके मानव अधिकार के मामलों पर तुरंत फैसला हो.

केस 3: भारत और नागा

14 अगस्त 1947 को नागा राष्ट्र ने ब्रिटिश औपनवैशिक शसन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की. उसके अगले दिन भारत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की जिसमें नागा क्षेत्र भी शामिल थे जो आंशिक रूप से औपनवैशिक प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किए जा रहे थे. यह नागा और स्वतंत्र राज्य भारत के बीच संघर्ष की शुरूआत थी, हालाँकि स्व-निर्धारण की माँग नागा 1930 के दशक से करते आ रहे थे. मामला यह है कि भारत राष्ट्र राज्य को ठोस करने में प्रयासरत था और नागा पूर्ण स्वतंत्रता की अभिलाषा रखते थे. यह ध्यान देने की बात है कि इस बिन्दु पर भी नागा जनसंख्या में नागा गृहप्रदेश के दर्जे के मामले में मतभेद थे. यह संघर्ष 1950 के दशक के मध्य से हिंसक रहा हैं, कभी कभी इसमें नरसंहार तक हुए हैं.60 स्व-निर्धारण के लिए नागा संघर्ष का 1947 के बाद का इतिहास अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है : पहला 1950 के दशक के मध्य से जब सशस्त्र संघर्ष आरंभ हुआ, 1970 के दूसरे पार्श्व तक जब नागों में भारी गुटबंदी हो गई. नेशनल सोश्यलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के मुताबिक सारे नागालैंड में 1954 और 1964 के दौरान सशस्त्र संघर्ष,यातना और अन्य प्रकार के राजनैतिक आतंक के द्वारा 150,000 जानें गईं, तथापि :

'नागा राजनीति के स्वतंत्रतावादी और एकतावादी गुटों के बीच रेखाएँ धुंधली ही रहीं... एक 1960 के दशक के मध्य और 1975 में भारत सरकार और कुछ नेताओं के मध हुए समझौते को मंतव्य कईयों ने विश्वासघात समझा.... इसने फिर से विद्रोह आरंभ कर दिया.'61

दूसरा चरण 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में आरंभ में हुआ जब छापामारों ने जिन्हें उन दिनों 'राष्ट्र कर्मी' कहा जाता था प्रतिद्वन्दी नेतृत्व के अंर्तगत गुटों को तोड़ना और बनाना आरंभ किया. ये गुट फिर मिल का एक मुख्य गुट बन गए आज जो मुख्य गुट है : नेशनल काउन्सिल ऑफ नागालिम जो भारत सरकार; - एनएससीएन (कापलांग) और कई अन्य के साथ सम्पूर्ण समझौते पर मोल तोल कर रहा है. कापलांग गुट ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि 'अगर केंद्र एक तरफा एनएससीएन-आईएम के साथ समझौता करती है तो वह [एनएससीएन-के] "क्रांति का आंरभ" कर देगी.61 कापलांग गुट को डर है कि उसे किसी सौदे से बाहर रखा जा रहा है और उसका मानना है कि नागा संघर्ष एक "भारत-नागा-मयनमार मुद्दा" है.63

कई वर्षों के दौरान नागा विद्रोह ने उपद्रवी समबदों के साथ गहरे सम्बंध स्थापित किए हैं और उत्तर-पूर्व के सशस्त्र समूहों और बागियों के बीच सम्बंधों का एक जाल बनाया है. ऐसा उत्तर-पूर्व के लंबे समय चल रहे सैनिकीकरण कारण मुख्यत हुआ है और विद्रोही नागाओं और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच लगातार चल रही झड़पों के कारण हुआ है. बर्मा / मयनमार के जिन क्षेत्रों में नागा रहते हैं वहाँ नागा विद्रोहियों ने शरणस्थली है. स्टेटसमैन में 2001 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार

टएनएससीएन-के के महासचिव और " नागालैंड जन गणराज्य सरकार" के "प्रधान मंत्री" श्री एन किटोवी जिमोमी ने कहा कि " आधी नागा जनसंख्या मयनमार में रहती है और उसकी

संस्था तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वे [मयनमार नागा] और उनकी भूमि मयनमार के कब्जे से मुक्त नहीं होती और अन्य नागाओँ से वे जब तक जुड नहीं होते और जिन क्षेत्रों में वे बसे हैं असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और एक स्वंयभू राष्ट्र में नहीं बन जाता.... "64

पश्चिमी नागाओं की बर्मा/मयनमार सरकार से भी झड़प हुई है, विशेषकर नागा विद्रोह के विरूद्ध 2005 में भारत-बर्मा/मयनमार के बीच आपसी समझौते के बाद. बृहदतर नागा राष्ट्र के बीतर एक अंर्त कबीलाई आम सहमति को खोजने का भी प्रयास हुआ है. नागा होहो (शीर्ष परिषद) ने मेल मिलाप का अभियान चालू किया और और आपसी झड़पों को रोकने के लिए सभी गुटों और समूहों से वार्ता की और दिल्ली से समझौते के लिए एक संयुक्त नागा स्वर प्रस्तुत करने के लिए उसने यह अभियान चलाया.65 साथ ही साथ नागा नेताओं ने भारत से बाहर भारतीय प्रतिनिधियों से वार्ताएँ कीं और दोनों पक्षों ने नागा क्षेत्रों में युद्धविराम का पालन किया.

नागालैंड में नागा जनसंख्या 2001 की जनगणना के मुताबिक 10 लाख से अधिक है: असम, मणिपुर और बर्मा/मयनमार में और 1 लाख नागा बिखरे हुए हैं.66 वे भारत और बर्मा/मयनमार की आधिकारिक सीमा के साथ लगे, चीनी सीमा से दक्षिण में 37000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं. नागा और भारत के बीच चल रहा संघर्ष सबसे निरंतर संघर्षों में से एक है और दुनिया में आज मूल निवासियों का अल्पज्ञात संघर्ष है. मूल निवासियों के अधिकारों के रक्षा के अंर्तराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार है दायित्व है कि वह जनजातियों के अधिकारों और नागाओं के भू अधिकारों की रक्षा करे. स्वतंत्र देशों में मूल निवासियों तथा अन्य जनजाति व अर्ध -जनजाति जनसंख्या की सुरक्षा और समाकलन के बारे में भारत ने अंर्तराष्ट्रीय श्रम संघठन (आईएलओ) की नियम संख्या 107 पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे अंगीकार किया है. हालाँकि उसने आईएलओ के 1989 के संशोधित नियम 169 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इसमें 'स्व-निर्णय' शब्द का प्रयोग किया गया है. इसे कभी कभी अलग होने का अधिकार समझा जाता है, जो नई दिल्ली को स्वीकार नहीं है.67 संयुक्त राष्ट्र के मूलनिवासियों के फोरम के वर्किंग ग्रुप में भारत का कथन है कि अनुसूचित जनजाति मूल निवासी नहीं हैं, वास्तव में ' भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या देश की मूल निवासी हैं'. 1989 के आईएलओ नियम संख्या 169 स्वतंत्र राष्ट्रों में मूल और अनुसूचित लोगों से सम्बंधित है. इस का सम्बंध आर्थिक, और सामाजिक अधिकारों, भागीदारी, संपत्ति और नागरिकता से है.68 नागालैंड का संघीय दर्जा धारा 371(ए) से शासित है जो भारतीय जम्मू कश्मीर के लिए समांतर धारा 370 की तरह है और इसमें 'नागाओं की धार्मिक या सामाजिक पद्धतियों' , 'नागा परंपरागत कानून और प्रक्रिया' और भूमि की 'मालकियत और हस्तांतरण और इसके स्रोतों' की रक्षा के लिए 'विशेष प्रावधान' हैं.

नागा हालाँकि धारा 371(ए) को दिखावा मात्रा मानते हैं; यह उसी तरह के विवादों से घिरी है जैसी नागालैंड राज्या के निर्माण के साथ. यह नागाओं को और विभाजित करने का उपकरण माना जाता है चूंकि यह धारा नागालैंड में रहने वाले नागाओं पर ही लागू होती है. इन अधिकारों के बारे में सूचना और उनके क्रियान्वन

के बारे में प्रसार करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, अतः वे आम जनता के लिए कोई यथार्थ नहीं हैं. इसके अलावा ये अधिकार लंबे खिंचते संघर्ष की हालत में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं जिनमें सशस्त्र बल (विशेष अधिकार)एक्ट 1958 जैसे कड़े कानून लागू हों और जहाँ आम नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो. अतः ये संघीय प्रबंध नागाओं को स्वतंत्रता की माँग करने से रोक नहीं पाए.

युद्धविराम और शांति वार्ताएँ

भारत सरकार और नागा उग्रवादियों के बीच 1997 से एक युद्धविराम चल रहा हैं और संघर्ष का अंत करने के लिए संवाद हुआ है. नागा नेता एक ढीला प्रबंध स्वीकर करनेपर विचार करने को इच्छुक प्रतीत होते हैं जिसमें उनके स्व - निर्णय के अधिकार को मान्यता हो और स्वतंत्रता से थोड़ा हट कर एक साझा संप्रभुता हो. पर शांति वार्ता एक गंभीर रूकावट पर अटक गई है वह है नागा माँग कि जिन क्षेत्रों मे नागा रहते हैं उनका सभी का एकीकरण हो. इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर पूर्व के भौगोलिक नक्शे को पुर्नरेखांकन किया जाय जिस पर मणिपुर, असम और अरूणाचल प्रदेश गंभीर रूप से आपत्ति करेंगे. इस कश्मीरियों की मूल कश्मीर राज्य के सभी क्षेत्रों के एकीकरण की माँग के समान नहीं है. अब तक नागा संघर्ष पर भारत और भारत के बाहर कम ध्यान दिया गया है, अंशतः कई कानून के तहत -प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (इसे संरक्षित क्षेत्र परमिट भी कहा जाता है) और आतंरिक रेखा परिमिट जिन्होंने इस क्षेत्र को किसी भी जाँच से बचा कर रखा हुआ है, आगुंतकों का विवरण और यात्राएँ सीमित हैं.

संघर्ष का कारण

स्पष्ट है नागा क्षेत्रों का जबरन सम्मिलन सशस्त्र झगड़े का मुख्य कारण था. समय बीतते बल प्रयोग और सैनिकीकरण ने व्यापक निहित स्वार्थों को जन्मा जो हिंसा को बरकार रखे रहे. प्रतियोगी दलीय राजनीति के प्रवेश ने भी संघर्ष में योगदान दिया. नागा ग्रामीणों ने वोट देने की आधुनिक प्रक्रियाओं को कभी ठीक से नहीं समझा पर उनकी स्थानीय संस्थाओं पर ऐसे नए 'दलों' ने कब्जा कर लिया है जिनके संपर्क गाँव से बाहर कहीं हैं. इसके कारण पंरपरा से चला आ रहा कबीलाई एजेंसियों का वास्तविक प्रभाव गाँवों में शून्य होता गया. हालाँकि यह विकास की नीतियों का एक अनैच्छिक परिणाम था, भारत ने बड़ी संख्या में मूल निवासियों की जनसंख्या वाले अन्य देशों के समान दुविधा का सामना किया : बिना परंपरागत जीवनशैली, भातृत्व और कुल संगठनों की जड़ों को हानि पहुँचाये, आधुनिकीकरण और परंपराओं का मेल करने की आवश्यकता.

कमजोर शासन पंजाब और भारतीय जम्मू कश्मीर में भी हिंसा के लिए एक भागीदार कारण रहा है, पर नागालैंड में यह बहुत ही बुरी स्थिति में है. अजय साहनी के अनुसार विशाल सरकारी तंत्र ' हड़प लेता है एक बहुत बड़ा हिस्सा राजकीय' राजस्व का, और नेताओं, प्रशासकों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों में के जाल में बाँट देता है, यह प्रायः विभिन्न प्रकार ठेकेदारों, आतंकवादियों के अपने व्यवसायिक छद्म सगठनों द्वारा किया जाता है'.69 इन स्थितियों में ना भ्रष्ट अधिकारियों का ना ही उग्रवादियों का संघर्ष समाप्त करने में हित है.

कबीलों की आपसी लड़ाई और गहरी गुटबाजी एक अन्य कारण है जिसकी वजह से शांति

वार्ताएँ सफल नहीं हो पाई हैं. मानव अधिकारों के नागालोगों के आंदोलन (एलपीएमएचआर) के सदस्यों के अनुसार जिनके साथ लेखक ने इन्टरव्यू किया है, एक मेल मिलाप करने के तंत्र की अत्यंत आवश्यकता है ताकि विभिन्न गुटों बेहतर समझ को विभिन्न कबीलों में शांति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तैयार करे. 70 यह विरोधाभास है कि नागालैंड कई अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर, पौढ़ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत बेहतर है.71 तथापि औद्दोगिक विकास और ढांचे का यहाँ अभाव है. पंजाब और भारतीय जम्मू कश्मीर की भाँति शिक्षित युवाओं के बीच भारी मात्रा में बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय हैं.72

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हिंसा और भ्रष्टाचार से महिलाएँ और छोटे कबीलों ने भारी कष्ट भोगा है. राष्ट्रीय महिला आयोग की 2005 की रिपोर्ट में टिप्पणी है :
'महिलाएँ युद्ध के शिकार के रूप में हिंसा और अपमान का सामना करती हैं, पहले शत्रु के हाथों में और फिर अपने समुदायों और घरों में एक शर्म की वस्तु के रूप में. महिलाओं के साथ बर्ताव में यह भेद पितृसत्तात्मक मानदण्डों और विचार धारा में जमे हुए हैं जो राज्यों , समुदायों और परिवारों पर शासन करते हैं.'73

संक्षेप में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वायत्ता का वंचन, विरोधों के साथ 'कानून और व्यवस्था' की समस्या जैसा बर्ताव करना नागाओं की सारी शिकायतों को एक सुरक्षा का मामला समझना और सुशासन की स्थापना करने में सफल रहना इन कारणों ने नागालैंड में संघर्ष को बढ़ाया है.

सारांश

इन सभी तीनों संघर्षों का मूल है लोकतांत्रिक अधिकारों का वंचन और संविधान में दी सत्ता की भागीदारी के समझौतों की गारंटी और भारत सरकार द्वारा पुष्ट वायदों को डूबोना. कश्मीर में दिल्ली समझौते को उलटना और धारा 370 को खाक करना; पंजाब में घटिया राजनैतिक दखलअंदाजी करना और धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयोग और चालबाजी ने अंर्तजातीय ताल मेल को कमजोर कर दिया; नागालैंड में जबरन एकीकरण,धारा 371(ए) के क्रियान्वन के अभाव और सैनिकीकरण के कारण संघर्ष आरंभ हुआ. हर मामले में भारत सरकार तमिलनाडु में सफल हुई नीतियों को दुहाराने में असफल रही: अधिकारिकता और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना; भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना; आर्थिक वृद्धि और और विवास निधियों का समान वितरण. तमिलनाडु में महिला और सुविधाहीन समूह को द्रविण दलों द्वारा चलाई रोजगार 'आरक्षण' विस्तार के द्वारा सुरक्षा दी गई. उन्होंने अंर्तजातीय गुट बनाए जिनमें महिलाओं को छोटे कमजोर अल्पसंख्यकों ने उचित जगह पाई. ये सारे लक्षण अध्ययन किए जा रहे तीनों क्षेत्रों में दिखाई नहीं देते. जब राजनैतिक चालबाजियाँ असफल हो गईं तो बल का प्रयोग किया गया. समय बीतते, उग्रवादी गुटों, स्थानीय सरकार और सुरक्षा कर्मियों के बीच भ्रष्ट सांठगांठ में हिंसा का संस्थाकरण हो गया. इस सांठगांठ ने समुदायों के बीच अनौपचारिक आपसी समझ और सहशीलता की नींव को कमजोर कर दिया और छोटे अल्पसंख्यकों को सत्ता से प्रर्यास संपर्क रखने से वंचित कर दिया.

तीनों क्षेत्रों में शांति की बहाली के लिए इन सहभाजी संसर्गों को फिर से बनाने की आवश्यकता होगी. भारतीय जम्मू कश्मीर में इसका मतलब होगा कि भारत और पाकिस्तान की वर्तमान सम्प्रभुताओं के सीमाओं के भीतर ढाँचे बनाने होंगे जो स्व-शासन की अनुमति देंगे, और नागालैंड में इसका मंतव्य होगा एक कार्यप्रणाली की स्थापना करना जो बड़े और छोटे अल्पसंख्यक कबीलाई और मैदानी समुदायों की माँगों का मेल करा सके. हालाँकि अभी शांत है पर निर्मम आतंकवाद विरोधी अभियानों से बने घावों की पीड़ा अभी है. तीनों ही क्षेत्रों में तुरंत सामाजिक न्याय देने की आवश्यकता है , मौत होने पर, अंग भंग होने पर और आजीविका खोने पर आर्थिक मुआवजा तुरंत देने की आवश्यकता है. और जो मानव अधिकारों के हनन के दोषी हैं उन्हें कानून के सामने तुरंत पेश किया जाय. जो नागरिक आतंकवाद विरोधी अभियानों की चपेट में आए हों और जिनको भारतीय जम्मू कश्मीर और पंजाब में गलत तरीके से बंदी बनाया गया हो उनके लिए तुरंत न्याय दिलवाया जाय. गैरकानूनी दाहसंस्कार (पंजाब), हिरासत में हुई मौतों और न्यायेतर हत्याओं के मामले को हल करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता है. जो भी विवरण इस लेखक ने सुना है और इन्टरव्यू लिए हैं उनसे यह प्रत्यक्ष है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों से सामुहिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों जो मानसिक क्षति हुई है वह गहरी है.

जातीय अल्पसंख्यकों की माँगों में एक सबसे महत्वपूर्ण माँग है उनके विशिष्ट इतिहास और अस्मिता और उनके परंपरागत गृहप्रदेश के दावे को मान्यता मिले. हालाँकि मान्यता प्रदान करने में कानूनी और राजनैतिक कठिनाईयाँ हैं जैसा कि नागालिम के मामले में हुआ है, एक रास्ता खोजा ही जाना चाहिए चोट मलहम लगाने के लिए और घाव को चंगा करने के लिए और उनके सांस्कृतिक राष्ट्र को कम से कम प्रतीकात्मक मान्यता प्रदान करने लिए.

सिफारिशें

केंद्र (भारतसरकार) व भारत की राज्य सरकारें :

राजनैतिक भागीदारी, अहस्तक्षेप और समावेश :

1. जातीय संघर्ष का अंत करने के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी देने वाला एक राजनैतिक हल अनिवार्य है; युद्धविराम और शांति समझौतों पर बातचीत अल्पसंख्यक समूहों की पूर्ण, स्वतंत्र और प्रभावी भागीदारी के साथ होनी चाहिए
2. केंद्र सरकार को अपना संवैधानिक दायित्व को पूरा करना चाहिए और राज्य स्तर पर सच्ची स्वायत्ता को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों को स्व-शासन के लिए जगह अनुमति प्रदान करे. इस प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों में शक्ति का विभाजन और स्वायत्त क्षेत्रों के शासन में केंद्र सरकार के अहस्तक्षेप का सुस्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए. भारत सरकार आतंक विरोधी कानूनों जैसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को रद्द कर देना चाहिए, जो स्वायत्त राज्यों के अपने मामलों में नियंत्रण को अप्रभावी बना देते हैं.
3. सभी समुदायों जिसमें सबसे छोटे और सबसे अधिक अधिकारहीन अल्पसंख्यक शामिल हैं उनको सार्वजनिक और राजनैतिक मामलों (यूएनडीएम धारा 2.2,2.3) में भाग लेने का अधिकार है ; चुनावी व्यवस्थाओं और शासन की पद्धतियों को राज्य और केंद्र राज्य स्तर पर

सभी (अल्पसंख्यक स्त्री और पुरुषों) को राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए, और जातीय, धार्मिक और भाषाई सीमाओं की विभाजन रेखाओं के आरपार सभी समुदायों को अपील करने वली राजनैतिक दलों व लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए.

4. जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी समुदायों के लिए प्रभावी और सुगम्य परामर्शी और शिकायतों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अवसर दे स्त्री और पुरुषों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का. इसमें विकास परियोजनाओं और आयुक्तों के परामर्शी, निरीक्षण निकाय शामिल हो सकते हैं.

न्याय और भेद-भाव विरोधी :

5. भेदभाव से पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिनको मनमाने ढंग से ढंग से बंदी बनाया गया उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और सबसे बुरे अपराधकर्ताओं को कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए. भारत सरकार को तुरंत अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय की रोम सांविधिक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए और उसे अंगीकार करना चाहिए.

6. भारत सरकार को जानबूझ कर दिए जाने वाले घृणा प्रसार करने वाले भाषण (विशेषकर मीडिया में और राजनैतिक नेताओं द्वारा) को एक दण्डनीय अपराध घोषित करना चाहिए.

7. भेदभाव विरोधी प्रबावी कानून होना चाहिए और सभी स्तरों पर भेदभाव को चुनौती देनी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखा जा सके. इसके साथ विशेष उपाय होने चाहिए जहाँ अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया गया, असमताओं को काबू करने साधन के रूप में.

पहचान

8. भारत सरकार को अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा के प्रयोग के अधिकारों को प्रोत्साहित करने के दायित्वों को लागू करना चाहिए (आईसीसीपीआर धारा 27).

सीमा के आर-पार सम्बंध

9. राष्ट्रीय या जातीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बंधित लोगों के अधिकारों की धारा 2.5 की घोषणा के अंर्तगत भारत को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरकार को सीमापार अपने सम्बंधों का बनाए रखने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए. ऐसे सम्बंध सीमा आरपार की संस्थाओं स्थापित कर प्रोत्साहित किए जा सकते हैं जो आम हितों के मामलों को सम्बोधित करें, जिनकी खुलेपन को सुगन करने और पहचानों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका है.

अन्तर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकारों के मानकों के सम्बंध में भारत का दर्जा

10. भारत सरकार को अंगीकार करना चाहिए : आईएलओ 169 मूल लोगों के लिए अधिकार, आईसीसीपीआर का पहला वैकल्पिक प्रोटोकॉल और सीईडीएडब्लू के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल व्यक्तिगत शिकायतों की व्यवस्थाओं के लिए.

आईजीओ, आईएनजीओ और एनजीओ को :

11. सभ्य समाज को अंर्त-सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित करने में और जातीय, धार्मिक और भाषाई सीमाओं की विभाजन रेखाओं के आरपार सकारात्मक सम्बंधों को मदद देने में भूमिका निभानी चाहिए, और अधिकारहीन समुदायों की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए काम करना चाहिए.

नोट्स

1. भारत में 1963 में बनाए प्रांत-राज्य नागालैंड और नागालिम में भेद करना आवश्यक है, नागालिम यह एक नागा गृहपद्रेश है जिसकी नागा नेतृत्व ने अपने सांस्कृतिक गृहप्रदेश के रुप में माँग की. नागालैंड राज्य से बाहर नागाओं द्वारा बसे क्षेत्रों का दर्जा विवाद का विषय हैं क्योंकि ये क्षेत्र पड़ोसी राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम में हैं.

2. देखें आईदे, ए, "राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बंधित लोगों के अधिकारों की घोषणा पर टीका", ई/सीएन.4/सब.2/एसी.5/2000/डब्लूपी.1,पी.2.

3. स्टोल, एम. वान डर, सीएससीई मानवीय आयाम सेमिनार में भाषण : 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के मामलों पर केस अध्ययन : सकारात्मक परिणाम', वारसा, 24 मई 1993, देखा, http://www.osce.org/hcnm/speeches/1993/24may93.html

4. कापोतोर्ती, एफ. , राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बंधित लोगों पर स्टडी, जिनीवा, राष्ट्रसंघ मानवअधिकार केंद्र, 1991, यूएन डॉक. ई/सीएन.4/सब.2/384/एड.1-7.

5 कल्याण मंत्रालय, अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 23 अक्तूबर 1993 को जारी अधिसूचना अनुसार. देखें: http://ncm.nic.in/html/fr_minority.html (17 मार्च 2006).

6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त कॉरपोरेशन (NMDFC) अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए इसको भारत सरकार ने स्थापित किया गया था. देखा: http://socialjustice.nic.in/obcs/minority.htm#mino1, 17 मार्च 2006.

7सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2005–2006, नई दिल्ली, भारत सरकार, पृ. 2.

8 राज्यों के पुर्नगठन आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार, 1955, पी. 46.

9 बांदा, एफ. व चिनकिन, सी., लिगं, अल्पसंख्यक और मूल निवासी, लंदन,एमआरजी, अगस्त 2004, पृ. 5.

10 कोरब्रिज, एस. व हैरिस, जे., रीइन्वेंटिंग इंडिया, ऑक्सफॉर्ड, ब्लैकवैल पब्लिशर, 2000, पी. 106

11 शाकिर, एम., 'कांग्रेस एंड मायनोरटिज़', भारतीय राजनीति में कांग्रेस, आर. जोशी और आर.के. हैबसर (संपादक) कांग्रेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, रिवरडेल, एमडी, रिवरडेल पब्लिशिंग कंपनी, 1998, पृ. 163.

12 प्रारंभिक द्रविड़ आंदोलन के लिए देखें हार्डग्रेव, आर, द द्रविड़ मूवमेंट, बम्बई, पॉपुलर प्रकाशन, 1965; इरसिक, ई. एफ., पॉलिट्किस एंड सोश्यल कंन्फिल्कट इम साउथ एशिया: द नॉन ब्राहमिन मूवमेंट एंड तमिल सपरेटिज्म, 1916-1929, बरकले,यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोरमिया प्रैस, 1969

13 चड्ढा, एम., एथनिक, सिक्योरिटी एंड सपरेटिज्म इन इंडिया, न्यूयॉर्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रैस, 1997, पृ. 72-3.

14 हार्डग्रेव, आर, ट डीएम के एंड द पॉलिट्क्स ऑप तमिल नेशनलज्म, पसेफिक अफेयर्स, खंड.37, संख्या 4, 1964-5, पृ .396.

15 दासगुप्ता, जे., लैग्वेज कॉन्फलिक्ट एंड नेशनल डेवलपमेंट: ग्रुप पॉलिटिक्स एंड नेशनल लैग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलफोर्निया प्रैस,1970,पृ 159–96.

16 सुब्रहमणियम, एन., 'एथिनिसिटी एंड प्लूरलिज्म: एम एक्सपलोरेशन विद रेफरेंस टू इंडियन केसेज्', कनेडियन जरनल ऑफ पॉलिटिकल साइन्स, खंड,32, संख्या.4,1999, पृ. 729.

17 तमिलनाडु सरकार, सार्वजनिक (चुनाव) विभाग, तमिलनाडु विधानसभा के लिए आम चुनाव 1952-84, सांख्यकी सार,मद्रास,तमिलनाडु सरकार प्रैस,1986,पृ.11-13.

18 तमिलनाडु सरकार,पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नीति नोट 2006-2007, माँग संख्या. 9, http://www.tn.gov.in/policynotes/bc_mbc_welfare.htm, देखा 17 मार्च 2006). तमिलनाडु में 2001 में 46 प्रतिशत जनसंख्य पिछड़े वर्ग की थी, सबसे पिछड़े वर्ग के तकरीबन 18 प्रतिशत, क़रीब 4 प्रतिशत अनअधिसूचित समदायोंल से,और 20 प्रतिशत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के. तमिलनाडु में उन सबके लिए 69 प्रतिशत आरक्षण नियत था. तमिलनाडु सभा ने एकमत से एक बिल पास किया ताकि सरकार 69 प्रतिशत आरक्षण जारी रख सके, जो 1994 में तमिलनाडु एक्ट 45 बन गया.

19. विन्सेंटनाथन,एस.जी., 'कास्ट पॉलिटिक्स, वायलेंस, एंड द पंचायत इन अ साउथ इंडियन कम्युनिटि', कंम्पैरटिव स्टडीज इन सोसायटी एंड हिस्टरी, खंड. 38, संख्या. 3, 1996, पृ.484

20. हमला कथित रूप से मुस्लिम कट्टरपंथी समूहों ने किया, जो एक पुलिस कांस्टेबल की तीन मुसलमान युवाओं द्वारा हत्या के बाद पुलिस के एक वर्ग और हिंदू अतिवादी द्वारा मिलकर नवंबर
-दिसंबर 1997 में किए नरसंहार के तीन महीने बाद हुआ जिसमें 18 मुसलमानों की शहर में मौत हुई,

21 गांगुली, एस., 'एक्सप्लेनिंग द कश्मीर इंसरजेंसी: पॉलिटिकल मोबलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिके', इंटरनेशनल सिक्योरिटी, खंड.21 2, 1996, पृ. 77.

22 स्कोफील्ड, वी., कश्मीर इन द क्रासफॉयर, लंदान, आई.बी. तयूरिस, 1996, पृ. 142

23 झा. पी.एस., कश्मीर 1947, नई दिल्ली, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1996; लैंब,ए,. कश्मीर: अ डिस्पयूटेड लैगसी, 1846-1990,लंदन, रॉक्सफॉर्ड बुक्स,1991.

24 विद्रोह के प्रति भारत की कश्मीर नीति और विश्लेण के लिए, देखें वारजिंग,आर., कश्मीर इन द शैडो ऑफ वार, न्यूयार्क, एम.ई.शार्प, 2003; स्कोफील्ड, वी., कश्मीर इन कांनफलिक्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड द अनएंडिग वार, लंदन, आई.बी. टूयरिस, 2003. कश्मीर घाटी और जम्मू औप लद्दाख के बीच अंर्त-क्षैत्रीय संघर्ष के लिए, देखें बेहरा,
एन.सी., स्टेट आयडंटिटी वायलेंस: जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, नई दिल्ली, मनोहर 2000; बोस, एस., कश्मीर, कैंम्ब्रिज, एमए. हावर्ड यूनिवर्सिटि प्रैस 2003.

25 शब्बीर शाह, नईम खान, हमीदा खान, आज इन्कलाबी और एम.बट (कश्मीरी अलगाववादी) के साथ श्रीनगर में बातचीत, 1-5 जून 2006. आर्मी कमांडर ढिल्लों और कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के
प्रणुख निश्चल संधू ने पुष्टि की कि करीब 1,500 से लेकर 2000 तक आतंवादी घाटी में सक्रीय हैं. उनमें से ज्यादातर घाटी के रहने वाले हैं, पर करीब 1,000 सीमापार के जेहादी उनमें शामिल हैं जो
मुख्यत: पाकिस्तान स्थित इस्लामी समूहों से मदद से सक्रीय हैं. जब से राष्ट्रपति मुर्शरफ ने भारतीय जम्मू कश्मीर में जिहाद का समर्थन देना बंद किया सीमापार से घुसपैठ काफी कम हो गई इस सबकी पुष्टि हो गई.

26 स्कोफील्ड, कश्मीर इन कांनफलिक्ट, ओप,सीआईटी., पृ.162-3.

27 क्राइसिस ग्रुप, कश्मीर : लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप एशिया रिपोर्ट संख्या. 70, 4 दिसंबर 2003, पृ.8, http://www.crisisgroup.org/ home/index.cfm?id=2409&l=1, देखा अगस्त 2006.

28 आजाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस से बातचीत, सेंटर फॉर डॉयलॉग एंड रिकंसिलियेशन की मुलाकतें, नई दिल्ली, 30 मई 2006.

29 बोस, उद्धरण, पृ. 57.

30 वहीं, पृ .58.

31 वहीं, पृ .62–88.

32 वहीं, पृ .88.

33 सुबा चंद्र से बातचीत, भारतीय जम्मू कश्मीर और विद्रोह के आईपीसीएस विशेषज्ञ, नई दिल्ली, 24 मई 2006.

34 स्कोफील्ड, कश्मीर इन क्रासफॉयर, उद्धरण, पृ. 233-5

35 वायस ऑफ द एशिया-पसिफिक ह्यूमन राइट्स नेटवर्क, कटलैक्टिव राइट्स इन इंडिया: अ रि-असेसमेंट,ह्यूमन फीचर्स, अ ज्वाइंट इनिशिंयेटिव ऑफ साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, नई दिल्ली, 2001

36स्कोफील्ड, उद्धरण, पृ. 245.

37 देखें दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल: http:/www.satp.org/satporgtp/India/states/jandk/ data_sheets/annua l-casualties.htm, देखा29 मई 2006.

38 देखें: http:/www.satp.org/satporgtp/India/sates/Jandk? data_sheets/ political-assassinations.htm, देखा 30 मई 2006.

39 निश्चल संधू से बातचीत, उपनिदेशक रॉ भारतीय जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, मई 2006.

40 शब्बीर शॉह, पीपुल्स लीग के नईम और हमीदा खान; महजे आजादी के आजम इन्कलाबी; अब्दुल गनी बट, श्रीनगर में इंडियन एक्सप्रैस के मुज़ामिल जमील के साथ बातचीत , नई 2006.

41 यूएनडीएम की धारा 2.5 को देखें अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के उपने समूह के सदस्यों और अन्य अल्पसंख्यकों से व सीमाओं के पार अन्य देशों के नागरिकों के साथ जिनसे वे राष्ट्रीयता या जातीय, धर्म या भाषाई नाते हों उनके साथ शांतिपूर्ण संपर्क बनाने व रखने का अधिकार है.'

42 सिहं, एच., द हेरिटेज़ ऑफ द सिख, नई दिल्ली, मनोहर 1985, पृ. 302.

43 चड्ढा, एम., दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का निर्माण : भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बोल्डर, को, लेयन रायनर, 2000, पृ.157.

44 चड्ढा, जातीयता ,सुरक्षा और अलगाववाद, उद्धरण, पृ-.124.

45 पाल डांग, एस., ' पंजाब में हिन्दू संगठन', पंजाब टुडे में जी.सिंह (संपादक), नई दिल्ली, इन्टुलैक्चुअल पब्लिशिंग हाउस, 1987, पृ 233.

46 वही, पृ. 158.

47 इस हिस्से की क्रमवार रचना और विश्लेषण ब्रास, पी., लैंग्वेज, रिलीजन, एंड पॉलिटिक्स इन नार्थ इंडिया पर आधारित है, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटि प्रैस, 1974, पृ. 277-336; वर्मा, पी. एस., 'अकाली दल ,हिस्टरी इल्कटोरल परफॉरमेंस, एंड लीटरशिप प्रोफाइल', जी. सिंह (संपादक) में, उद्धरण, प- 257-84, जैफरी, आर., व्टस हैपनिंग टू इंडिया?, लंदन, मैकमिलन, 1986.

48 चड्ढा, जातीयता ,सुरक्षा और अलगाववाद, उद्धरण, पृ. 124.

49 ब्रास, पी., 'एथनिक क्लीवजेज इन द पंजाब पार्टी सिस्टम, 1952-72', एम. वेनर औप

जे.ओजगुड (संपादक) में, एल्कटोरल पॉलिटिक्स िन द इंडियन स्टेटस: पार्टी सिस्टम एड क्लीवजेज, खंड IV,
नई दिल्ली, मनोहर, 1975, पृ. 39-45; नैयर, बी. आर., मायनॉरटी पॉलिट्किस इन द पंजाब, प्रिंस्टन, एनजे, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटि प्रैस, पृ 300-1.
50 वही.
51 हरित क्रांति के सार गर्भित विवरण के लिए देखें वालेस, पी., 'द सिख एज अ "मायनॉरटी" इन अ सिख मजोरटी स्टेट इन इंडिया', एशिया सर्वे, खंड, 26, संख्या 3, 1986, पृ. 366-9.
52 वही
53 सिंह, उद्धरण, पृ. 12.
54 हमेश, टी., 'द पॉलिटिकल इकनॉमी ऑफ पंजाब: क्रियेटिंग स्पेस फॉर सिख मिलटेंसी', एशियन सर्वे, खंड 32, संख्या 11, 1992, पृ. 974-6.
55 देखें टली, एम और जेकब, एस., अमृतसर: मिसेज गांधीज् लास्ट बैटल, लंदन, विजन बुक्स, 1984, पृ. 70.
56 वही, पृ. 488.
57 राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग, केस संख्या, 1/97/एनएचआरसी, 8 मार्च 2006, http://nhrc.nic.in, देखा 24 अप्रैल 2006.
58 कुमार, आर. एन., अग्रवाल, ए., सिंह, ए. और कौर, जै., रिड्यूस टू एशैज: द इन्सरजैंसी एंड हयूमन राइटस इन पंजाब, साउथ एशिया पोरम फॉर हयूमन राइटस, मई 2003 पृ. 56, 58. भारत सुरक्षा बलों द्वारा किए अत्याचार के बारे में अन्य रिपोर्टों के लिए देखें, हयूमन राइट्स वाच/ फिजीशियन फॉर हयूमन राइटस, डेड साइलेंस: द लैगसी ऑफ अब्यूजज इन पंजाब, मई 1994; हयूमन राइट्स वाच, पंजाब इन क्राइसिस: हयूमन राइट्स इन इंडिया, अगस्त 1991; एमेनिस्टी इंटरनेशनल, पंजाब में मानअधिकारों का हनन: कानून का उपयोग और दुरुपयोग, मई 1991, पंजाब पुलिस: कानून की पकड़ से बाहर, अगस्त 1994, पंजाब में दंडाभाव और यातना के चक्र का टूटना, जनवरी 2003; इएनएसएएएफ की पंजाब मानवअधिकारों की लायब्रेरी को देखें: http://www.ensaaf.org/punjabhr.html, देखा 30 सितम्बर 2005). उपरोक्त इएनएसएएएफ की रिपोर्ट से उद्धरित है, जून -अगस्त 2005,
पंजाब पुलिस :फैब्रिकेटिंग टैररिज्म थ्रू इलीगल डिटेंशन एंड टॉरचर, http://www.ensaaf.org/fabricatingterrorism.pdf, देखा 8 मार्च 2006.
59 फिजीशियन फॉर हयूमन राइटस, डेड साइलेंस, उद्धरण, पृ. 4-5, इएनएसएएएफ की रिपोर्ट से उद्धरित, उद्धरण
60 असम सावर्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण(स्वायत्त जिला) की घोषणा नागा पहाडियों में 1953 में की गई; उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम की घोषणा 1955 में और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम
की 1958 में घोषणा की गई. तब से नागा क्षेत्र रुक-रुक कर एएफएसपीए के अंर्तगत आते रहे हैं, जिसका 1972 में संशोधन किया गया.
61 बरुआ, एस., 'कन्फ्रटिंग कन्सट्रकश्नलइज्म: एंडिंग इंडियाज़ नागा वॉर', जर्नल ऑप पीस रिसर्च (अंर्तराष्ट्रीय शांति अनुसंधान केंद्र, ऑस्लो, नार्वे), खण्ड 40. संख्या 3, 2003, पृ. 321.
62 'एनएससीएन (आईएम) - दिल्ली शांति नहीं ला सकती है', सांतिनल, 24 अक्तूबर 2003.
63 'एनएससीएन-आईएम सरकार द्वारा प्रायोजित है, वे विश्वासघाती हैं: एनएससीएन-के', टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 जुलाई 2003.
64 राय.डी., 'आफ्टर इंडिया इट इज मयनमार : एनएससीएन-के',स्टेटसमेन,2 जुलाई 2001.
65 जोयसन और जोन से बातचीत, नागा लोगों का मानवअधिकार आंदोलन के सक्रीय सदस्य, नई दिल्ली,26 मई 2006.

66 साउथ एशिया नेट, 'द नैक्सलाइट मूवमेंट', http://www.southasiamedia.net/profile/india/india_intrastateconflict s.cfm, देखा गया 30 अगस्त 2006.

67 भेंगरा, आर., और बिजोय, सी.आर., भारत के आदिवासी, लंदन, एमआरजी,1999.

68 ये अंर्तराष्ट्रीय नियम मूल निवासियों के सामाजिक,सांस्कृतिक,धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों और कार्यकलापों पर फोकस हैं. जब से मानवअधिकारों के उप -आयोग ने मूल निवासियों के अधिकारों
के मसौदे की घोषणा को 1994 में पारित किया है तब से मूल निवासियों के अधिकारों को आगे और कानून बद्ध करने के प्रयास असफल रहे हैं.

69 साहनी.ए., 'टेररिस्ट इकॉनमी इन इंडियाज नार्थ-ईस्ट: अ प्रिलमनरी रिपोर्ट', मणीपुरऑनलाइन, 4 नवंबर 2005, http:/www.manipuronline.com/features/November2005/northeastec onomy04_1.htm, देखा गया 28 मई 2006.

70 जोयसन और जोन से बातचीत,नागा लोगों का मानवअधिकार आंदोलन, नई दिल्ली,26 मई 2006.

71 नागालैंड राज्य सरकार, नागालैंड, राज्य मानव विकास रिपोर्ट, नई दिल्ली,2004, पृ. 25-7.

72 'गो टू नागालैंड', 19 फरवरी 2005, http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=20050219
01951000.htm&date=2005/02/19/&prd=th &, देखा गया 8 अप्रैल 2006.

73 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, उत्तरपूर्व में सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं पर प्रभाव, नागालालैंड और त्रिपुरा से मामले, पृ.12-13, http://www.ncw.nic.in, देखा गया 26 मई 2006.

minority rights group international

अल्पसंख्यक अधिकार और संघर्ष निवारण : भारतीय जम्मू और कश्मीर, पंजाब व नागालैंड में संघर्षों की केस स्टडी © माइनॉरिटि राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल, अगस्त, 2006

आभार एमआरजी और इसके कार्यक्रम सहयोगी फोर्ड फाउन्डेशन से मिली वित्तीय सहायता के आभारी हैं. एमआरजी डीएफआईडी को उनके सहयोग के लिए और विशेषज्ञों पाठकों को इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए धन्यवाद देना चाहती है. परियोजना का संयोजन संघर्ष निवारण कार्यक्रम ने किया तथा इसका संपादन सोफी रिचमंड ने किया.

लेखक माया चड्ढा न्यू जर्सी के विलियम पैटरसन विश्वविद्यालय में साउथ एशिया प्रोग्राम की निदेशक हैं और उन्होंने कई पुस्तकें और लेख अंर्तराष्ट्रीय सम्बंधों और दक्षिण एशिया के जातीय संघर्षों के बारे में लिखी हैं.

माइनॉरिटि राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल (एमआरजी) एक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) है, जो दुनियाभर में जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सुरक्षित करने और समुदायों को बीच सहयोग और मेल-मिलाप को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है. एमआरजी को संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक और सामाजिक पारिषद (इसीओएसओसी) के साथ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और मानव और लोगों के अफ्रीकी आयोग के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है. एमआरजी एक चैरिटि के रूप में पंजीकृति हैं संख्या 282305, और यूके में गारंटी के द्वारा एक कंपनी लिमिटेड, संख्या 1544957, के रूप में पंजीकृति है.

ISBN 1 904584 65 9

यह स्टडी जन समझ में योगदान देने के लिए प्रकाशित की गई है. यह पाठ कोई जरूरी नही है कि हर विवरण में एमआरजी या इसके सहयोगियों के सामूहिक विचार का प्रतिनिधित्व करता हो. इस स्टडी की प्रतियाँ www.minorityrights.org पर उपलब्ध हैं. प्रतियाँ एमआरजी के लंदन ऑफिस से भी प्राप्त की जा सकती हैं.